कब्रों के पास नमाज़ न पढ़ने की बीस दलीलें एवं कब्रों पे मस्जिद व भवन निर्माण का हुक्म

लेखक

माजिद बिन सुलेमान अल रसी

शाबान 1434 हिजरी

الترجمة الهندية لكتاب:

عشرون دليلا في النهي عن الصلاة عند القبور
و بيان حكم بناء المساجد و الغرف عليها

لفضيلة الشيخ ماجد بن سليمان الرسي

किताब की व्याख्या

नाम किताब	:	**कब्रों के पास नमाज़ न पढ़ने की बीस दलीलें एवं कब्रों पे मस्जिद व भवन निर्माण का हुक्म**
लेखक	:	**माजिद बिन सुलेमान अल-रसी**
प्रकाशन	:	1442 हिज्री-2021
ईमेल	:	binhifzurrahman@gmail.com
मोबाईल	:	00966538944845

الكتاب منشور في موقع صيد الفوائد و اسلام هاؤس:
https://islamhous.com/hi//main
http://saaid.net/book/list.php?cat=92

इस पुस्तक के संपूर्ण अधिकार लेखक के लिए सुरक्षित हैं।

विषय सूची

विषय सूची
प्रस्तावना
मस्जिद का शाब्दिक अर्थ
कब्रों को मस्जिद न बनाने की दलीलें
कब्रों के पास नमाज़ पढ़ने के बारे में कुछ उलमा-ए-इस्लाम की राये
कब्रों को मस्जिद बनाने रूप
कब्रों को मस्जिद बनाना हराम है चाहे नमाज़ी के लिए कब्र की जगह जहाँ भी हो।
कब्रों के पास नमाज़ पढ़ने का हुक्म वैधता सेहत अथवा अवैधता (बुत्लान) के दृष्टिकोण से
कब्रों पर मस्जिद के निर्माण का मसला
कब्रों पर मस्जिद निर्माण की मुमानअत की दलीलें
मस्दिजों पर कब्रों की तामीर करना।
कब्रों पर मस्जिद बनाने के सम्बम्ध चारों फिक्ही पंथों की राय
कुछ संदेह और उनका उत्तर

कब्रों पर भवन एवं गुंबंद आदि बनाने का हुक्म
कब्रों पर भवन निर्माण निषेद होने की दलीले।
कब्र पर बने मसाजिद के विरोध मुसलमानों की जिम्मेदारी
कब्र को सजदगाह बनाने या कब्र पर मस्जिद तामीर करने से बहुत सारी खराबीयाँ पैदा होती है। जिन में कुछ निम्नांकित है।
कब्र की मिट्टी के बुलंद करना
कब्र पर चिरागाँ करने का हुक्म:
कब्रों के सम्मान से सम्बन्धित कुछ और बातें
कब्रो का अपमान
अंत से पहले कुछ बातें
अंतिम बात
कब्रों पर भवन एवं गुंबंद आदि बनाने के हुक्म
संदर्भ

प्रस्तावना

الحمد للّٰه وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده، وعلى آله و صحبه وسلم

नि:संदेह अल्लाह ने इन्सान व जिन्नात को एक बड़े उद्देश्य के लिए पैदा किया है। जो यह है कि वे केवल उसी की इबादत करें और उसके साथ किसी को साझी न करें। अल्लाह ताला फरमाता है ''और मैंने इन्सान एवं जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है''(सूरह अल-जारियात: 56) इबादत में अल्लाह की पसंदीदा व मर्जी की सारी बातें अथार्त छुपी हुई और स्पष्ट बाते एवं कार्य सम्मिलित हैं।

नमाज़, ज़कात, रोज़ा हज सत्यता, अमानत अदा करना, माता पिता से उत्तम व्यवहार, रिश्तेदारी निभाना, वचन पूरा करना अच्छाई का उपदेश देना, बुराई से रोकना, पड़ोसी, अनाथ, निर्धन राहगीर, और दासों और मवेशियों के साथ अच्छा व्यवहार करना, दुआ ज़िक्र तिलावत आदि चीज़ें इबादत में शामिल हैं।

इसी तरह अल्लाह और उसके रसूल

(स.अ.व.) से मुहब्बत, अल्लाह से डर, धर्म को उसके लिए खालिस करना, उसके हुक्म पे सब्र करना, उसकी नेमतों पे शुक्रया अदा करना, उसके बनाये गये भाग्य पर संतुष्टी, उसपर भरोसा, उसकी कृपा की आशा, उसके दण्ड का डर आदि चीजें भी इबादत हैं। (نقلا من "مجموع الفتاوى" لابن تيميه رحمه الله (١٠/١٤٩-١٥٠) بتصرف يسير)

इबादत का विलोम शिर्क है। इस तौर पर कि इन्सान अल्लाह का साझी बना ले और उसकी अल्लाह की तरह इबादत करे और अल्लाह की तरह उससे डरे और किसी भी प्रकार की इबादत से उसकी निकटता प्राप्त करे जिस प्रकार अल्लाह की निकटता प्राप्त करता है जैसे नमाज़, जबह, मन्नत आदि।

बन्दों के साथ अल्लाह की करूणा यह भी है कि उसने शिर्क के रास्तों को बन्द कर दिया है गरचे वह काम अपने आप में शिर्क न हो ताकि इन्सान तबाही के अस्बाब से सचेत और दूर रहे। उदाहरण के तौर पर इस्लामी शरीअत में कब्रों के पास नमाज़ पर प्रतिबंध है चूंकि नबी (स.अ.व.) ने बहुत सारी हदीसों में इस से मना किया है इस प्रतिबंध का कारण यह कि जब नमाज़ पढ़ने वाला कब्र के पास नमाज़ पढता है

तो शैतान उसके मुर्दे के लिए नमाज़, सजदा और ध्यान को सुन्दर बना देता है विशेष कर पेरशानी की स्थिति में। और जिसने एसा किया वह अल्लाह की इबादत में शिर्क में पड़ गया जो जहन्नम में सदा रहने का कारण है।

इस संक्षिप्त शोध में मैंने अपनी बात रखनी चाही है ताकि मुझे और मेरे भाईयों को लाभ हो। इस विषय पर अहले सुन्नत की किताबों में जो भी बिखरी हुई बातें थीं उन्हें एकत्रित कर दिया है मैंने कब्रों के पास नमाज़ पढ़ने के सम्बंध में शरीअत की दलीलों का ज़िक्र किया है। फिर चारों फिक्ही पन्थों के धर्मगुरूओं की बातें भी प्रस्तुत की है। तदपश्चात कब्रों के पास नमाज़ न पढ़ने के कारणों को विस्तार से बताया है। इस शोध के साथ कब्रों पर भवन निर्माण का हुक्म भी सम्मिलित कर दिया है। और यह बताया है कि चारों पथों के धर्मगुरूओं के नज़दीक यह हराम है। मैंने यह भी बताया कि सारे धर्मगुरूओं का इस पर एक मत है। मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि इस शोध से लेखक और पाठक को लाभ पहुंचाये। हम समस्त मुसलमानों को लाभदायक ज्ञान प्राप्त करने और अल्लाह और उसके रसूल (स.अ.व.) की शरीयत के अनुसार नबी (स.अ.व.) की सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक

दे। इबादत में बिदअतों और मनगढ़त बातों से बचाये ताकि हमारी इबादतें अल्लाह के नजदीक स्वीकृत और क्यामत के दिन लाभप्रद हों।

والله اعلم و صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

लेखक
मजिद बिन सुलैमान अल-रसी
मंगलवार 20-5-1434 हिजरी
फोन 00966.505906761
सऊदी अरब
majed.alrassi@gmail.com
www.saaid.net/book

मस्जिद का शाब्दिक अर्थ

मस्जिद शब्द का दो उपयोग हैं: आम व ख़ास, आम अर्थ है: धर्ती की हर जगह जहाँ नमाज़ दुरूस्त हो समतल धर्ती हो अथवा ऊँची नीची, भवन हो अथवा खाली जगह, इसी अर्थ में नबी (स.अ.व.) का यह कथन हैं ''मरी लिये सारी धर्ती मस्जिद और पवित्र बनाई गई है। (बुखारी:335, मुस्लिम:521, जाबिर रजी. से)

यहाँ पवित्र का अर्थ यह है कि उस से पवित्रता प्राप्त करना ठीक हो तयम्मुम द्वारा।

खास अर्थ में मस्जिद उस भवन को बोलते हैं जिसे सारे लोगा जानते हैं इसी अर्थ में अल्लाह का यह फरमान है:

إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله و اليوم الآخر ولم يخش إلا الله

''बेशक अल्लाह की मस्जिद वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर इमान रखते हैं और कवेल अल्लाह से डरते है। (सूरह तौबा:18)

कब्रों को मस्जिद बनाने का अर्थ:

मस्जिदों को कब्र बनाने का दो मतलब है

उनपर मस्जि बनायी जाये अथवा बिना भवन के ही कब्रों के निकट नमाज़ पढ़ी जाए। (قـالـه ابـن تيميه رحمه الله كما فى "مجموع الفتاوى" (٢٧/ ١٦٠)

कब्रों को मस्जिद बनाने वालों की स्थितिः

जो लोग मस्जिदों को कब्र बनाते हैं उनकी दो हालतें है।

पहलीः कब्र की इबादत करना, नमाज़ व सजदा द्वारा जैसा कि बुत की पुजा करने वाले बुतों के सामने करते हैं और यह खुला कुफ्र है जिसमें कोई संदेह नहीं।

दूसरीः कब्र की जानिब इस विश्वास के साथ नमाज़ पढ़ना कि उसकी जानिब नमाज़ की उस नमाज़ से ज्यादा फजीलत है जो किसी कब्र की जानिब न हो। यही वह सूरत है जिसकी हदीस नबवी में ममानअत वारिद हुई है।

कब्रों के पास नमाज़ न पढ़ने के कारणः

छहः कारणों की बुन्याद पर इस्लामी शरियत कब्रों के पास नमाज़ पढ़ने से मना करती है चाहि कब्र किसी मस्जिद की इमारत के नीचे हो या किसी बयाबान जमीन में।

पहला कारणः

कब्रों के पास नमाज़ पढ़ने वालों में से अधिकांश का विश्वास है कि कब्र के पास या

उसके अन्य हिस्सों में नमाज़ पर एक विशेष बरकत और फज़ीलत है। इस विश्वास की न तो अल्लह की किताब में कोई अस्लीयत है और न ही रसूलल्लाह सल्लल्लाहू अलेहि व सललम की सुन्नत में क्योंकि शरियत में (1) मस्जिद हराम, (2) मस्जिद नबवी, (3) मस्जिद अक़्सा (4) मदीना की मस्जिद कुबा वादी-ए-अक़ीक़ और (5) मदीने के मीकात जुलहुलैफा के अलावा किसी दुसरी किसी जगह नमाज़ पढ़ने की फज़ीलत नहीं है। इसी आधार पर कब्रों के पास नमाज़ पढ़ना बिदआत में से है और यह मालूम है कि बिदआत उनके करने वाले पर मरदूद है। अल्लाह तआला के यहाँ अस्वीकृत हैं बल्कि वे एक बड़े गुनाह के ओर ले जाती है।

(1)जैसा कि इसकी दलील जबिर रजी.की हदीस है कि उन्होंने कहा कि रसूल (स.अ.व.) ने फरमाया मेरी मस्जिद की एक नमाज़ काबा के अलावा दूसरी मस्जिदों की एक हजार नमाज़ से ज़्यादा बेहतर है और मस्जिद हराम की एक नमाज़ उसके अलावा की एक लाख नमाज़ों से ज्यादा बेहतर है। (इसे इब्ने माज़ा 1406) यहाँ उन्हीं का लफ़्ज़ है और अहमद (3/343) ने रिवायत किया है। उसे अलबानी और अल-मुस्नद के शोधकर्ताओं ने

सही करार दिया)

(2) इस की दलील जाबिर रजी. की पिछली हदीस है और इसी प्रकार अबू हुरैरह रजी. की हदीस है कि नबी (स.अ.व.) ने फरमाया कि मेरी इस मस्जिद की एक नमाज़ इसके अलावा दुसरी मस्जिद की हज़ार नमाज़ों से ज्यादा बेहतर है सिवाये मस्जिद हराम के (इसे बुखारी 1190) और मुस्लिम (1395) ने रिवायत किया है।

(3) इसकी दलील अबु हुरैरा रज़ी. की हदीस है कि रसूल (स.अ.व.) ने फरमाया कि तीन ही मस्जिदों की तरफ यात्रा करना जाएज़ है: मस्जिद हराम, रसूल (स.अ.व.) की मस्जिद और मस्जिद अल-अकसा (इसे बुखारी(1189) और मुस्लिम (1397) ने रिवायत किया है)

(4) इसकी दलील यह है कि नबी (स.अ.व.) हर शनीवार को मस्जिद कुबा सवार हो कर या पैदल चल कर आते थे और उस में दो रकअत नमाज पढ़ते थे। इसेबुखारी (1193) और मुस्लिम (1399) ने इब्ने उमर रजी. से रिवायत किया है।

और उसैद बिन ज़हीर अंसारी रजी. से रिवायत है उन्होंने नबी (स.अ.व.) से रिवायत किया है कि: मस्जिद कुबा में

नमाज़ पढ़ने का सवाब एक उमरा के बराबर है। इस से तिमिर्जी (324) और इब्ने माजा (1411) ने रिवायत किया और उसे अल्बानी ने सह़ी क़रार दिया है।

(5) इस की दलील नबी (स.अ.व.) का फरमान है कि: आज रात मेरे रब की तरफ से एक आने वाला आया और उसने मुझसे कहा कि इस मुबारक वादी में नमाज़ पढ़ो और कहा उमरा हज में दाखिल है। इसे बुखारी (1534) ने उमर रजी. से रिवायत किया है। सुन्नत यह है कि जब कोई मुसलमान बिना किसी इरादा के वादिये अकीक से गुजरे तो उसमें नमाज़ पढ़े। यह सफरे हज या सफरे उमरा के साथ खास नहीं है। बल्कि जब भी वह उस के पास से गुजरे तो उसके लिए उसमें नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है जैसा कि नबी (स.अ.व.) करते थे। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी. से रिवायत है कि रसूल (स.अ.व.) शजरा के रास्ते से गुजरते हुए मोअर्रस के रास्ते से मदीना आते और जब मक्का जाते तो शजरा की मस्जद में नमाज़ पढ़ते लेकिन वापसी में जुलहुलैफा के नशीब में नमाज़ पढ़ते और सुबह तक वहीं रात गुजारते। इसे बुखारी (1533) ने रिवायत किया है और

इब्ने रजब ने फतहुल बारी में मालिक, शाफई, अबू हनीफा और अहमद से उसमें नमाज़ पढ़ने के मुस्तहब होने की बात नकल की है। देखऐ (3/435-436) (كتاب الصلوة باب المساجد التى على طرق المدينة)

और इब्ने हजर ने फतहुल बारी में उमर की पिछली हदीस की शरह ब्याखया में कहा कि हदीस में अकीक की फजीलत मदीना की फजीलत की तरह है और उस में नमाज़ पढ़ने की फज़ीलत है।

इरबाज बिन सरिया की हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि ''धर्म में नयी चीजों से बचो इसलिए की हर नयी चीज बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है''। (इसे अबू दाऊद (4607) तिर्मिजी (2676) इब्ने माजा (42) अहमद (41/126-127) इब्ने हब्बान (1/179) यह उन्हीं का लफज़ है और उनके अलावा ने रिवायत किया है और हदीस को अल्बानी रहिमहुल्लाह ने सही करार दिया।)

और आइशा (रजी.) ने रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि ''जिसने हमारे इस धर्म में कोई ऐसी नही चीज ईजाद की जो उस में नहीं है तो वह

मरदूद है''। इसे बुखरी(2697) और मुस्लिम (1718) ने रिवायत किया। और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि ''जिस ने काई ऐसा काम किया जिस पर हमारा हुकम नहीं है तो वह मरदूद है''। इसे मुस्लिम (1718) ने रिवायत किया है।

शेख मरई बिन यूसुफ करमी हंबली का कथन है:

जान लो कि शरिअत में हर किसी जगह की कोई फजीलत नहीं ह। और न ही उस में कोई चीज है जो उसकी फजीलत को जरूरी करार दे किसी जगह की यात्रा करना या उसमें नमाज़, दुआ जिक्र या उसके अलावा के लिए इजतेमा का इरादा करना साफ गुमराही और भारी गलती है। क्योंकि यह दीन में कानून साज़ी है और किसी ऐसी जगह की फजीलत नहीं दी है। बल्कि वह केवल मन की चाहत है जिसे अल्लह ने एक इबादत किये जाने वाले माबूद की तरह करार दिया है।

जैसा कि अल्लाह तआला का फरमान कि ''भला देखो तो उसे जिसने अपनी खाहिश को अपना माबूद बना लिया है।'' (सूरह अल-जासीया-23) इस में मुशरिकों की मुशाबहत है जिन्हों ने अपनी ख्वाहिशे नफस की खातिर

कुछ जगहों को फज़ीलत दे रखी है वे वहाँ किसी मुजस्समें या उसके अलावा के लिए कसद करते थे उनका ऐतकाद था वह उन्हें अल्लाह तआला के करीब कर देता है। (शिफाउस्सदूर फी जयारतिल मशाहिदें वल-कुबूर(स-58-59) شفاء الصدور فی زیارة المشاهد والقبور प्रकाशण मकतबा नज्जार मुस्तफा अल-बाज- मक्का)

इसी तरह यह कहना कि कब्रों पे नमाज़ पढ़ना अफज़ल है शरितअत पर एक बुहतान है और बग़ैर इल्म के अल्लाह की बात करना है। यह बड़े गुनाहों में से एक है। अल्लाह तआला का फरमान कि ''कहदो मेरे रब ने बेहयाई की बातों को हराम किया है। चाहि वे प्रकट हों या छिपे हों और हर गुनाह को और नाहक किसी पर जुल्म करने को और यह कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ जिसकी उसने कोई दलील नहीं नाज़िल की और यह कि तुम अल्लाह पर वह बातें कहो जो तुम नहीं जानते।'' (सूरह अल-आराफ-33)

दुसरा कारणः

कब्रों के पास नमाज़ पढ़ने से मना करने का दुसरा कारण यह कि कब्र के पास नमाज़ पढ़ने का कारण कब्र वाले की ताज़ीम(सम्मान) करना है जबकि अल्लाह तआला की ताज़ीम

होनी चाहिए जो नमाज़ी की अकल पर हावी है।

तीसरा सबबः

कब्र वाले की कब्र के पास नमाज़ पढ़ कर ताज़ीम करना समय के साथ और बढ़ जाता है यहाँ तक कि कब्र वाले ही की इबादत की जाने लगती है उस का सजदा किया जाता हैं, घुटने टेके जाते हैं, दुआ की जाती है, जानवर जबह किया जाता है और तवाफ किया जाता है। लिहाज़ा वह ताजीम करने वाला बूत परस्ती में पड़ जाता है। अल्लाह बचाए। इमाम नववी रहेमहुल्लाह ने कहा है कि ओलमा का कहना है कि ''नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने अपनी और अपने अलावा की कब्र को उसकी ताजीम में मुबालगा करने और उसकी मुहब्बत में दिवाना हाने के डर से मस्जिद बनाने से मना किया है। इस लिए बसा अवकात यह कुफ्र का सबब बनता है जैसा कि बहुत सी पिछली कौमों ने किया और जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहेमहुल्लाह ने अपनी पुस्तक (अल-अमरू बिल इत्बा वन नहयु अन इबतदा) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع में सराहत करते हुए कहा है:

यही वह कारण है जिसके लिए नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया है इसी ने बहुत सी उम्मतों को शिर्क अकबर या

असगर में डाला इसी लिए तो बहुत सी गुमराह उम्मतों को सालेहीन की कब्रों के पास गिड़गिड़ाते आजजी व इंकसारी इख्तयार करते और अपने दिल से उनकी इबादत करते हुए देखते हो व उन्हें अल्लाह के घर मस्जिद में नहीं करते हैं वे उनके पास नमाज़ पढ़ कर दुआ करके वह उम्मीद रखते हैं जो उन मस्जिदों में नहीं रखते जिनकी तरफ सफर करना मश्रू है। यह वह बिगाड़ है जिसके समाप्त का नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने इरादा किया था। यहाँ तक कि आपने कब्र पे नमाज़ पढ़ने से मना कर दिया गरचे नमाज़ी का उस जगह या उस मकान की बरकत का इरादा न हो उस बिगाड़ के सबब को रोकते हुए जिस की वहज से बुतों की इबादत हुई। और इब्ने तैमिया रहेमहुल्लाह ने कहा है कि कब्रों को मसाजिद बनाना शिर्क के उसूलों में से है।

उन्होनें मज़ीद कहा कि कब्रों के पास नमाज़ पढ़ना उन्हें मस्जिद बनाना और उस पर मस्जिदों का निमार्ण करना बड़ी बिदअतों और शिर्क के अस्बाब में से है।

चौथा कारणः

कब्रों को मस्जिद बनाने से रोकने का चौथा सबब उन कब्रों के साथ खास है जो मस्जिदों में

है वह यह कि मस्जिदों में कब्रों का निमार्ण उस हकीकी हिकमत के मुखालिफ है जिस के लिए अल्लाह ने मस्जिदों के निमार्ण को मशरू करार दिया है और वह मस्जिदों को सिर्फ अल्लाह का घर करार देना है उनमें उसके अलावा किसी को उसके साथ शरीक ना किया जाए जबकि उनमें कब्रों का निमार्ण जिसमें अल्लाह और उसके मखलूक के बीच में एक साझेदारी और मस्जिदों को अल्लाह और मखलूकों का घर बनाना है।

पांचवाँ कारणः

यह उन कब्रों के साथ खास है जो मस्जिदों में है अल्लाह तआला ने मुसलमानों के लिए मस्जिदों के निमार्ण को केवल अपनी और अपनी नमाज़ की ताजीम के इरादे से मशरू करार दिया हैं मुर्दों की ताजीम के इरादे के लिए नहीं चाहि वे मुर्दे अंबया, नेक उलेमा हों चाहे उनके अलावा हों उनके पास नमाज़ पढ़ना मना है। इसलिए कि नमाज़ी के मन में केवल अल्लाह की ताजीम कायम नहीं होती है। बल्कि वह उसके अलावा को उसके साथ शरीक किये हुआ है और वह साहिब कब्र है।

छठा कारणः

यह उन कब्रों के साथ खास है जो मस्जिदों में है। अल्लाह तआला ने मुस्लमानों के

लिए मस्जिदों में मुर्दों के दफन को सिरे मशरू नहीं किया है। उसे पहली तीनों पसंदीदा सदीयों में न तो नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने न उनके सहाबा ने और न ही ताबेई ने किया है। इसलिए मस्जिदों में कब्र बनाना अल्लाह के दीन में बिदअत हैं और हर बिदअत गुमराही है। जैसा कि इरबाज बिन सारीया (रजी अल्लाह अन्हु) की पिछली हदीस में आया है।

कब्रों को मस्जिद न बनाने की दलीलें

बहुत सी हदीसों में कब्रों को मस्जिद बनाने के संबंध में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोकं आई फिर आपके मर्ज वफात में रोकं की ताकीद आई है। बीमारी के भारीपन और उसकी शिददत के बावजूद अपने एक बार फिर उसकी रोक की ताकीद की इसहाल में कि आप नज़ाऐ मौत में थे। यह मामले की गंभीरता और उसके महत्व को बताता है। क्योंकि आप को नजऐ रूह कब्रों को मसाजिद बनाने की रोक से गाफिल नहीं कर पायी। इस अध्याय में नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम से बीस से अधिक हदीसें आई हैं।

(1) जुनदुब बिन अब्दुल्लाह बजली (रजी अल्लाह अन्हु) से वर्णित है कि उन्होंने फरमाया: मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप की मृत्यु से पांच दिन पहले फरमाते हुए सुना: मैं अल्लाह के सामने इस बात से बेज़ारी प्रकट करता हूँ कि तुम में से कोई मेरा (खलील) मित्र है क्योंकि अल्लाह तआला ने मुझे अपना मित्र

बनाया है। जिस प्रकार कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने मित्र बनाया था, और अगर में अपनी उम्मत में किसी को अपना मित्र बनाता तो अबू बक्र (रजी अल्लाह अन्हु) को अपना मित्र बनाता, सुनो तुमसे पहले जो लोगा थे वे अपने नबियों और सालिहीन की कब्रों सज्दागाह बना लिया करते थे अत: सावधान! तुम कब्रों को सज्दागाह न बनाना में तुमहें इससे रोकता हूँ। (इसे मुस्लिम (522) ने रिवायत किया)

''इसी लिए सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्रिस्तान में दफन करने के बजाय आयशा के कमरे में दफनाया ताकि आप की कब्र को नमाज़ पढ़ने की जगह न बनाया जाए, इस इल्लत को आयशा ने साफ किया जैसा की आगे आने वाला है।''

(2) आइशा (रज़ी अल्लाह अन्हा) की हदीस है उन्होंने कहा: नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस मर्ज में जिस से आप ठीक नहीं हो पाए फरमाया: अल्लाह तआला यहूदियों और इसाईयों पर धिककार करे कि उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिदें बना डालीं। वह कहती हैं कि यादि

यही डर आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के कब्र के साथ न होता है। तो आप की कब्र को प्रत्यक्ष रखा जाता है। परंतु आप को भय था कि कहीं उसे मस्जिद न बना लिया जाए। (इसे बुखारी (1330) और मुस्लिम (529) ने रिवायत किया और यह उसका लफज़ है।

इसे निसाई (2045) और अहमद (6/252) ने रवायत किया और अल्बानी ने इसे सही करार दिया।)

आईशा (रजी अल्लाह अन्हा) की बात साफ है कि यदि सहाबा को यह भय न होता कि लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को मस्जिद बना लेंगे और उसके पास नमाज़ पढ़ी जाएगी तो वे आप की कब्र को प्रत्यक्ष रखते यानी आप कब्रिस्तान में दफन किये जाते आप की कब्र अन्य कब्रों की तरह लोगों के लिए जाहिर होती। लेकिन इस डर से कि लोग आप की कब्र को नमाज़ पढ़ने की जगह बना लेंगें । जो उनकी कब्र पर मस्जिद का निमार्ण या उसके सामने नमाज़ पढ़ना चाहता था के रास्ते को रोकने के लिए सहाबा आप को आईशा घर ही में दफनाने पर एकमत हो गए।

(3) आयशा (रजी अल्लाह अन्हा) की हदीस है

कि नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया: अल्लाह उस कौम पर धिककार करे जिसने अपने नबियों की कब्रों का मस्जिद बना डाली आप ने इसे अपनी उम्मत पर हराम करार दिया है।

(4) आइशा और इब्ने अब्बास (रजी अल्लाहु अन्हुमा) की हदीस है दोनों ने कहा:

जब रसूलल्लाह मर्जुल मौत में पड़ गए तो आप अपनी चादर को बार बार अपने मुँह पर डालते जब दम घुटने लगाता तो उसे अपने मूँह से हटा लेते। आप ने इसी स्थिति में फरमाया कि: धिककार हो उन पर जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना डाला आप उनके काम से डरा रहे थे। (इसे बुखारी (435-437) यहा उन्ही का लफ़्ज है और मुस्लिम (521) ने रिवायत किया।

यह हदीस पहली की तरह है। नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम इस में कब्रों को मस्जिद बनाने वालों पर धिकाकार के जरिए जैसा कि अहले किताब ने किया अपनी उम्मत को उनकी तरह करने से सचेत कर रहे थे।

इब्ने हजर रहेमहुल्लाह ने कहा कि मानो

आप नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम को यह ज्ञान हो गया था कि आप इसी बीमारी से मरने वाले हैं इसलिए आप भूत काल की तरह अपनी कब्र की ताजीम किये जाने से डरे। चुनानचः आप ने यहुदियों और इसाईयों को धिककारा उनके कामों को करने वाले की निंदा की और गौर करना चाहिए कि नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने अपनी मौत से पांच दिन पहले लोगों में पाये जाने वाले गुलू (अति सम्मान) की सख्ती से मना किया हैं जैसा कि जुंदुब की हदीस में है। आप ने एक बार फिर से उसकी ताकीद की जैसा कि इस हदीस में है। इस हाल में कि आप मरने को थे। यह मामले की महानता एवं गंभीरता को बतलाता है।

और शैख अहमद रूमी हनफी रहेमहुल्लाह ने इस हदीस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह हदीस ''सिहाहे मसाबीह'' में से है जिसे उम्मुल मोमेनीन आयशा ने रिवायत की है यहुदियों और इसाईयों पर धिककार करने का कारण यह है कि वे उन जगहों में नमाज़ पढ़ते थे जहाँ उनके नबी मदफून थे। इसी लिए आपने अपनी उम्मत को उनकी नक़ल करने से बचाते हुए कब्रों पर नमाज पढ़ने से

मना कर दिया।

कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि नेक लोगो की कब्रों से बर्कत हासिल करने वाली जगहों पर नमाज़ पढ़ना इस रोक में दाखिल है। विशेषकर यदि इसका कारण उनकी ताजीम करना हो। इसी लिए नूह की कौम में मुर्ति पूजा का रिवाज हुआ था। उनके कब्रों पर ठहरने के कारण बना था जैसा कि अल्लाह तआला ने अपनी किताब में इसकी जानकारी दी है।

(5) ओसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा की हदीस है कि नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने अपनी उस बीमारी में जिसमें आप का निधन हो गया फरमाया: मेरे साथियो! मेरे पास आओ चुनानच: वे उनके पास गए। उस समय आप एक मआफिरी चादर से अपना चहरा लपेटे हुए थे। आपने उसे हटाया और कहा: यहूदियों और ईसाईयों पर अल्लाह की धिककार हो कि उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मसाजिद बना लिया। यह हदीस इस मामले में नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम की रूचि को इंगित करती है क्योंकि आप आपने कुछ साथियों के सूनने पर संतुष्ट नहीं हुए बल्कि

आप अपने साथियों की आम जनता को समझाने पर उत्सुक हुए जैसा कि आपने कहा कि मेरे साथियों मेरे पास आओ।

(6) अबू हुरैरा की हदीस है उन्होंने कहा कि अल्लाह के पैगंबर ने कहा अल्लाह यहुदियों को नष्ट करे जिन्होंने अपने पैगंबर की कब्रों को मसाजिद बना लिया।

(7) अब्दुल्लाह बिन मसऊद से वर्णित है कि उन्होंने ने फरमाया: मैंने अल्लाह के रसूल लल्लाह अलैहि व सल्लम को कहते हुए सुना कि सबसे बुरे लोग वे हैं जिन पर कयामत कायम होगी। और जिन्होंने कब्रों को मसाजिद बना लिया।

(8) अबू ओबैदा आमिर बिन जर्राह से वर्णित है उन्होंने कहा कि नबी ने अंतिम शब्द जो कहा था व वह यह था कि तुम लोग यहूदियों और अहले नजरान को अरब से दूर कर दो। ज्ञात रहे कि कब्रों को मसाजिद बनाने वाले सब से बुरे लोग है।

(9) अबु हुरैरा की हदीस है उन्होंने कहा कि अल्लाह के पैगंबर ने कहा कि ऐ अल्लाह मेरी कब्र को बुत न बनाना कि उसकी पूजा की जाए अल्लाह की धिककार हो उस कौम पर जिस ने अपने पैगंबरों की कब्रों को

मस्जिद बना लिया।

शैख साद बिन हम्द बिन अली बिन अतीक ने इस हदीस पर टिप्पणी करते हुए कहाः कि जब आप ने अपनी दुआः अल्लाह! मेरी कब्र को ऐसा बुत न बनाना जिस की पूजा की जाए और कब्रों को मस्जिद बनाने बालों पर अल्लाह के सख्त करोधा होने की खबर को एक साथ मिलाया। यह इंगित करता है कि दुसरा पहले का कारण है।

और इब्ने अब्दुल बर मालकी रहेमहुल्लाह ने कहाः

''वसन'' बुत है चाहि सोने चांदी की मुर्ति हो या किसी और चीज का मुजस्समा। अल्लाह के अलावा हर वह चीज जिसकी इबादत की जाए वह ''वसन'' है चाहिए वह बुत हो या कोई और चीज। अरब के लोग बुतों की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते और उनकी इबादत किया करते थे। इसलिए रसूल सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के बारे में यह डर हुआ कि यह भी पिछली उम्मतों के मार्ग पर न चल पड़े जब उनमें किसी नबी का निधन हो जाता तो वे उनकी कब्र के ईर्दगिर्द इबादत के लिए जमकर बैठ जाते जैसा कि किसी बुत के साथ किया जाता था तो नबी सल्लल्लाह अलैहि

वसल्लम ने दुआ की: ''ऐ अल्लाह मेरी कब्र को बुत न बनाना कि जिसकी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी जाए सज्दा किया जाए और इबादत की जाए। उन लोगों पर अल्लाह का शदीद ग़ज़ब नाज़िल हुआ। जिन्होंने ऐसा किया। रसूल (स.अ.व.) अपने साथियों और अपनी पूरी उम्मत को पिछली उम्मतों के उस काम से डरा रहे थे जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों की तरफ मुंह कर नमाजें पढ़ी और उनको किबला व मस्जिद बना लिया जैसा कि बुतपुजकों ने बुतों के साथ किया। वह उन को सजदा करते और उनकी ताजीम बजा लाते थे और यह शिर्क अकबर है। और नबी (स.अ.व.) इस काम में मौजूद अल्लाह की नाराजगी और गजब की अपनी उम्मत को खबर देते हैं और इस बात की भी कि आप उन कामों को पसंद नहीं करते और आप अपनी उम्मत के बारे में चिंतित भी थे कि यह भी यहूदियों और ईसाईयों की नककाली में उनके तरीकों को न अपना लें।

और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले किताब और सभी काफिरों के विरोध को पसंद करते थे और आप को अपनी उम्मत पर उनकी इत्तेबा का डर भी था। क्या तुम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान

को नहीं देखते जो शर्म दिलाने और फटकार के रूप में है। तुम अवश्य पहले लोगों के मार्गों पर चलोगे जैसा कि जूता जुते के बराबर होता है। यहाँ तक कि उनमें से कोई गोह के बिल में प्रवेश हुआ तो तुम भी अवश्य उस में प्रवेश हो जाओगे।

इब्ने तैमिया ने कहा कि: अल्लाह तआला ने आप की दुआ कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह! आप की कब्र को ''वसन'' नहीं बनाया गया जैसा कि आप के अलावा की कब्र को बनया गया बल्कि कमरे की तामीर के बाद कोई भी नहीं कर सकता है। इस से पहले वे किसी को दाखिल होकर उसके पास दुआ करने, नमाज़ पढ़ने और ना ही इस के अलावा कोई ऐसा काम करने का मौका देते थे जो आप के अलावा की कब्र के पास किया जाता हो।

अगर कोई जाहिल आपके कमरे में नमाज़ पढ़ता है या अपनी आवाज को बुलंद करता है या मम्नू बात करता है तो ख्याल रहे कि यह आप के कमरे के बाहर किया जाता है ना कि उनकी कब्र के पास। कोई भी कभी उनकी कब्र में दाखिल हो कर नमाज़ पढ़ सका और न ही दुआ कर सका न ही उसके साथ शिर्क कर सका जैसा कि उनके अलावा के साथ किया

गया। और कब्र को बुत बना दिया गया।

इसलिए कि आयशा की जिंदगी में उनकी अनुमती के बग़ैर कोई प्रवेश नहीं कर सकता था और उन्होंने आप की कब्र के पास किसी को ऐसा काम करनेका मौक़ा नहीं दिया जिसको आप ने मम्नू करार दिया है। उनके बाद वह कमरा बंद रहा यहाँ तक कि वह मस्जिद में दाखिल कर दिया गया और अब उसका दरवाजा बंद है और उस पर एक दुसरी दीवार बना दी गई है और केवल आप घर की हिफाजत के लिए की। आप के घर को आप के मौत की जगह इस लिये बनाया गया कि आप की कब्र को बुत न बना दिया जाए। यह ज्ञात हो कि मदीना के सभी लोग मुस्लिम है। और वहाँ केवल मुसलमान ही जा सकता है। और वह सब नबी की ताजीम करते हैं उन्होंने इस सम्मान जनक कब्र को कम आंकने के लिए नहीं किया बल्कि यह इसलिए किया ताकि उसे बुत न बनया जाए और आप के घर को मेला लगाने की जगह न बनाया जाए और उसके साथ वह न किया जाए जो अहले किताब ने अपने नबियों की कब्रों के साथ किया।

अबू मर्सद गनवी का बयान है कि नबी ने कहा तुम लोग कब्रों की मुंह कर के नमाज़ न पढ़ो और नहीं उन पर बैठो (इसे मुस्लिम (972)

ने रवायत किया और एक रिवायत में है कि तुम लोग कब्रों पर मत बैठो और नही उनकी तरफ मूँह करके नमाज़ पढ़ो (इस मुस्लिम (972) रवायत किया है। कब्र पर नमाज़ पढ़ने का अर्थ उस की तरफ रूख करना है।

इमाम नववी ने हदीस की व्याख्या करते हुए कहा है कि इस में कब्र की तरफ मूंहकर के नमाज़ न पढ़ने की सराहत है।

अब्दुल्लाह बिन अब्बास की हदीस है उन्होंने कहा: अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम लोग कब्र की तरफ नमाज मत पढ़ो। और न ही किसी कब्र पर बैठो।

अबू सईद खुदरी की हदीस है कि अल्लाह के रूसल ने कब्रों पर मजार बनाने उन पर बैठने और अउनकी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने से मना किया है।

(12) अबू सईद की हदीस है उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ने कहा: कब्र और हम्माम के अलावा पूरी की पूरी जमीन मस्जिद है। यह हदीस इस बात पर दलालत करती है कि कब्र और हम्माम में नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं और हम्माम में नमाज़ कब्र पर नमाज़ से छोटा गुनाह है क्योंकि कब्रों को मस्जिद बनाने वालों पर धिककार और फटकार में

बहुत सी हदीसें आई हैं।

(14) अब्दुल्लह बिन उमर का हदीस है कि नबी ने कहा तुम अपने घरों में नमाज़ पढ़ो और उन्हें कब्रिस्तान मत बनाओ और एक रिवायत में है कि तुम अपनी कुछ नमाजें अपने घरों में पढ़ो और उन्हें कब्रिस्तान मत बनाओ।

और एक रिवायत में है कि तुम अपने घरों में नमाजें पढ़ो। और उन्हों कब्रिस्तान न बनाओ।

इब्ने हजर ''फतहुल बारी'' में हदीस की व्याख्या करते हुए कहते हैं हदीस में आप का कथन कि तुम लोग उन्हें कब्रिस्तान मत बनाओ से सिद्ध हुआ कि कब्र इबादत की जगह नहीं है उन में नमाज़ पढ़ना नापसंदीदा है।

और इब्नुल मुंजिर ने ''अल्अवसत'' में कहा: जिस पर अधिकतर विद्वान की सहमती है अबू सईद की हदीस की वजह से कब्रिस्तान में नमाज पढ़ना मकरूह है।

मेरा कहना है कि यहाँ कराहत से मुराद कराहते तहरीमी है ना कि कराहते तन्ज़ीही। मुतकद्दिमीन के नजदीक कराहत से मुराद केराहते तहरीम होती है जैसा कि कुरान में है अल्लाह का फरमान है उसने कुफ्र

फिस्क़ और नाफरमानी को तुम पर हराम करार दिया है(अलहुजरात:7) और मुतअख्खरीन के नजदीक मकहरूह वह है जिसके छोड़ने वाले को सवाब दिया जाए और उसके करने वाले को सजा भी ना दी जाए और इब्नुल मुंजिर का मकसूदे कलाम पहला है इस लिए कि वह मुतकद्दिमीन में से हैं। और इब्ने उमर की हदीस में नबी से साबित है कि उन्होंनो कहा तुम अपने घरों में कुछ नमाजें पढ़ो और उन्हें कब्रिस्तान न बनाओ सबसे वाजेह बात है कि कब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ना जायज नहीं है।

(15) अबू हुरैरा की हदीस है उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल (स.अ.व.) ने कहा तुम लोग मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना और न ही अपने घरों को कब्रिस्तान बनाना तुम जहां भी रहो मुझ पर दुरूद भेजो इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है।

इस हदीस में नबी ने जिन घरों में नमाज़ नहीं पढ़ी जाती है उनको कब्रिस्तान से तशबीह दी है। चुनानच: यह दलालत करता है कि कब्रिस्तान सिरे से नमाज़ पढ़ने का स्थान नहीं है।

और इसी प्रकार कब्रों पर नमाज़ न पढ़ने की

दलीलों में से एक हदीस है वह जिसे सईद बिन मंसूर ने अपनी ''सुनन'' में सोहैल बिन अबू सोहेल से रिवायत किया है कि हसन बिन अली बिन अबू तालिब ने उन्हें रसूल की कब्र के सामने देखा तो उनसे कहा मैं आपको कब्र के पास देख रहा हूँ तो उन्होंने कहा मैं नबी पर सलाम भेज रहा हूँ उन्होंने कहा तुम मस्जिद में प्रवेश करो तब सलाम भेजो फिर कहा कि रसूल (स.अ.व.) का फरमान है तुम लोग मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना और न ही अपने घरों को कब्रिस्तान बनाओ। अल्लाह ने यहूदियों को धिककारा है कि उन्होंने अपने नबियों की कब्रों का मसाजिद बना लिया तुम मुझ पर दुरूद भेजो क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है चाहे तुम जहां कही भी रहो, तुम लोग और अंदलुस में रहने वाले एक समान हो।

यह हदीस पिछली हदीस की तरह है। जिस में नबी ने उन घरों की कब्रिस्तान से तुलना की है जिनमें नमाज़ नहीं पढ़ी जाती है। यह इस बात का प्रमाण है कि कब्रिस्तान सिरे से नमाज़ का स्थान नहीं है।

इब्ने तैमिया ने कहा है कि आप का फरमान कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ।

यानी तुम उनमे नमाज़ पढ़ने दुआ करने और कुरान पढ़ने से न रूको तो वह कब्र की तरह हो जाएंगे इसीलिए आपने घरों में इबादत का प्रयास करने का आदेश दिया और कब्रों के पस उसका प्रयास करने से मना कर दिया, उसके विपरित जो ईसाई, मुश्रिक और दुसरे लोग करते हैं।

और अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबू तालिब से रिवायत है कि उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की खिड़की से अंदर दाखिल होकर वहां दुआ कर रहा है तो आपने उसे बुला कर कहा क्या मैं तुम को वह हदीस न सुनाउँ जो मैंने अपने पिता से और उन्होंने अपने पिता से सुनी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: तुम लोग मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना और न ही अपने घरों की कब्रिस्तान बनाना और मुझ पर दुरूद भेजो इस लिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है चाहे तुम जहां कही भी रहो।

और इस्माईल काजी की रिवायत में है कि तुम लोग मुझ पर दुरूद व सलाम भेजो चाहे तुम जहां कही भी रहो क्योंकि तुम्हारा दुरूद व सलाम मुझ तक जरूर पहुंचाया जाएगा। यह हदीस पिछली हदीस की तरह है जिस में नबी ने उन घरों की कब्रिस्तान से तुलना की है। जिन में

नमाज नहीं पढ़ी जाती है। चुनानचः यह इस बात का प्रमाण है कि कब्र सिरे से नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं है।

और कब्रों पर नमाज़ के हराम होने की दलील में से एक यह है कि मस्जिदे नबवी की जगह निमार्ण से पहले मुशरिकीन की एक कब्र थी नबी ने उन कब्रों को तोड़ दिया हैं और मृतको के अवशेष को मुंतकिल कर दिया फिर जमीन को समतल कर दिया उसके बाद मस्जिद का निमार्ण किया उस जगह से कब्रों को हटाने के बाद ही किसी मस्जिद का निमार्ण हुआ है।

कब्रिस्तान में नमाज़ के हराम होने की एक दलील यह है कि सहाबा ने ऐसा करने वाले की निन्दा किया है और सहाबा का इंकार हुज्जत होने के लिए काफी है इस लिए कि वे कयामत के कायम होने तक मुसलमानों के लिए उदाहरण है जैसा कि अनस रजी. रिवायत है कि उन्होंने कहा एक दिन मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हुआ इस हाल में कि मेरे समाने एक कब्र थी जिस का मुझे ज्ञान नहीं था उमर ने मुझे आवाज दी! कब्र कब्र! मुझे लगा इसका मतलब कब्र है मुझे से मेरे सामने के एक आदमी ने कहा कि उनका मतलब कब्र है चुनानचः मैं उस जगह से हट गया है।

(رواه البخاری تعلیقاً فی کتاب الصلاۃ، باب هل تنبش قبور

مشركى الجاهلية و يتخذ مكانها مساجد و وصله البيهقى فى الكبرى (٤٣٥/٢) اللفظ له و عبدالرزاق فى مصنفه (١٥٨١)

साबित ने कहा जैसा कि अब्दुल रज्जाक की रवायत में है कि अनस जब नमाज पढ़ने का इरादा करते तो मेरे दोनों हाथों को पकड़ते और कब्रों से दूर हो जाते मैंने कहा कि यह इस बात की दलील है कि सहाबा के बीच यह तय था कि कब्रों पर नमाज़ पढ़ना हराम है।

कब्रों के पास नमाज़ के हराम होने की बात सहाबा व ताबेईन की एक जमात से वारिद है जैसे अनस, अब्दुल्लाह बिन अमर, हसन अरनी मुसैयब बिन राफे खैसमा बिन अब्दुर्रहमान इब्राहीम नखई इब्ने सीरीन और मकहूल।

कब्रों को मसाजिद न बनाने की दलीलों में से एक यह है कि नेक लोगों की कब्रों पर पढ़ी हुई नमाज का पुण्य होना असंभव है क्योकि उसे नबी ने नहीं किया है और न ही उनके बाद उनके साथ्यिों जब्कि नेक काम करने के लिए वे सबसे उत्सुक एवं उसके सबसे ज्यादा जानकार थे। और वे क्यामत के कायम होने तक मुसलमानों के लिए उदाहरण हैं खास कर नबी ने हमें पवित्र स्थानों की जानकारी दी और अपनी उम्मत को उनमें नमाज़ पढ़ने के लिए आग्रह किया जैसे तीनों मसाजिद और मस्जिदें कुबा।

शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया का कहना है कि सलफे उम्मत में से किसी ने न सहाबा के जमाने में न ताबेईन के जमाने में और न ही तबे ताबेईन के ज़माने में पैगंबरों और बुर्जगों की कब्रों के पास नमाज़ पढ़ने एवं दुआ करना का इरादा किया ना उन्होंने ने उन से सवाल किया और न ही उनसे मदद तलब की न उनकी मौजूदगी में और न ही उनकी कब्रों पर।

उन्होंने यह भी कहा कि लोग आयशा रजी. के जीवन में हदीस सुनने, फतवा पुछने और उनकी जियारत करने के लिए उनके पास जाते थे वह मुर्कम कब्र के पास नहीं जाता। नमाज़ के लिए ना ही दुआ के लिए, और नहीं इसके अलावा किसी अन्यकार्य के लिए। बसाअवकात कोई उनसे कब्रों दिखाने की आग्रह करता तो वह उन्हें दिखा देतीं थीं।

उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रसिद्ध है और दीन की मालूम बात है कि नबी ने मसाजिद निमार्ण करने एवं उनमें नमाज़ पढ़ने का आदेश दिया परंतु किसी भवन के निर्माण का आदेश नहीं दिया न तो किसी नबी की कब्र पर नहीं किसी नबी के अलावा की कब्र पर और न ही किसी नबी के ठेहरने की जगह पर और सहाबा ताबेईन और तबे ता बेईन के जमाने में इस्लामिक

देशों न हिजाज न सीरिया न यमन न, इराक, न खुरासान न मिस्र और न ही मगरिब में कहीं भी किसी कब्र पर मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ और न ही किसी भवन का जिसकी जयारत के लिए कसद किया जाए।

(21) कब्रों के पास नमाज़ पढ़ने के हराम होने की एक दलील यह कि खलीफा-ए-राशिद उमर ने उस जगह नमाज़ पढ़ने से रोक दिया था जिस जगह नबी ने नमाज़ इत्तेफाकी तौर पर पढ़ी। फिर उस जगह नमाज कैसे ठीक हो सकती है जहाँ रसूल ने नमाज़ पढ़ने से रोका हो जैसे कब्रें?

मारूर बिन सुवैद का बयान है कि उन्होंने कहा हम उमर के साथ हज यात्रा पर थे तो उन्होंने हमें फज्र में الم تركيف فعل ربك باصاحب الفيلऔर لايلاف قريش , पढ़ाई जब वह अपना हज पुरा कर वापस हुए तो देखा और लोग इबादत के लिए एक जगह का कसद कर रहें हैं, उन्होंने प्रश्न किया यह किया है तो उत्तर मिला वह मस्जिद है जिसमें अल्लाह के रसूल ने नमाज़ पढ़ी थी। उन्होंने कहा इसी प्रकार अहले किताब बर्बाद हुए। उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को कलीसा बना लिया। तुम में से जिसको नमाज़ मिल जाए उसे मस्जिद में पढ़ लेना चाहिए और

जिसको न मिले वह न पढ़े। और एक रवायत में है कि उन्होंने कुछ लोगो को एक मस्जिद में उतर कर नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो उन से इस बारे में प्रश्न किया तो उत्तर मिला यह वह मस्जिद है जिस में नबी ने नमाज़ पढ़ी थी। यह सुनकर उमर ने कहा तुमसे पहले वह लोग हलाक कर दिये गए जिन्होंने अपने नबियों के आसार (अवशेष) को कलीसा बना लिया। जिस किसी का गुजर किसी मस्जिद के समाने से हो और नमाज़ का समय हो जाए तो उसे नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए अन्यथा उसे गुज़र जाना चाहिए।

शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया ने उमर के कथन की हिकमत की व्याख्या करते हुए कहा है कि इसका कारण यह है कि अल्लाह ने मुसलमानों के लिए विशेष रूप से मसाजिद को छोड़ कर कोई ऐसी जगह मश्रूह नहीं की जिस की वे इबादत के लिए रूख करे जो मस्जिद नहीं है इबादत के लिए उसकी कसद करना ठीक नहीं है चाहि वह किसी नबी का मकान हो या किसी नबी की कब्र हो।

कब्रों के पास नमाज़ हराम होने के प्रमाणों में से एक यह है कि यह काफिरों की नकल है जैसा कि पिछली तीनों हदीसे इस पर दलालत करती है। और नबी के कथन के अनुसार

काफिरों की नक़ल करने वालों के ख़िलाफ सख़्त चेतावनी आई है जिसने किसी कौम की नक़ल की तो वह उन्हीं में से है।

और आप अहले किताब और सभी काफिरों के विरोध को पसंद करते थे और अपनी उम्मत के उनके पीछे चलने से डराते थे। क्या आप उन्हें चेतावनी के रूप में कहते हुए नहीं देखते कि ''तुम लोग अवश्य अपने से पहले लोगों की नक़ल करोगे यहाँ तक कि अगर वे लोग किसी गोह के बिल में प्रवेश किये होंगे तो तुम भी उसमें प्रवेश करोगे। हमने प्रश्न किया ऐ अल्लाह के नबी! यहूदि और इसाई? आपने कहा फिर कौन हो सकते हैं?''(बुख़ारी:3456, मस्लिम: 2669), और व्यवहारिक समकालीन उदाहरणों में से एक यह है कि कब्रों को मसाजिद बनाना काफिरों का धर्म है जिसका उल्लेख शैख मुहम्मद नासिरूद्दीन अलबानी ने अपनी पुस्तक

"تحذير المساجد من اتخاذ القبور مساجد"

में किया है। उन्होंने कहा कि मैंने वेटिकन एक प्राचीन पवित्र शहर शीर्षक के तहत अल मुख़्तार के मई 1958 के अंक में एक लेख पढ़ा है उसमें उसके लेखक रोनालड कालोसि पीटर्स उस शहर में मौजूद चर्च पीटर्स का वर्णन करते हुए कहते है कि सेंट पीटर्स चर्च ईसाई दुनिया में

अपनी तरह का सबसे बड़ा चर्च है जो सोलह से अधिक शताब्दियों से इसाई इबादत के लिए समपिर्त एक मैदान पर है यह सेंट की कब्र पर खड़ा है। एक मसीह के मछुआरे एक मित्र की कब्र है। उसके नीचे प्राचीन कब्रों और प्राचीन रोमन खंडहरों की एक बड़ी संख्या मौजूद है फिर उन्होंने उल्लेख किया कि बड़े त्योहार के दिनों में इबादत के लिए लगभग एक लाख लोग उसकी यात्रा करते है।

और कब्रों के पास नमाज़ हराम होने की साफ दलीलों में से एक यह कि इस्लाम के इमामों की इस पर सहमती है और यह ज्ञात रहे कि मुसलमानों का इज्मा (एकमत) एक धार्मिक प्रमाण है जैसा कि नबी का फरमान है कि अल्लाह तआला मेरी उम्मत को गुमराही पर जमा नहीं करेगा और जमाअत पर अल्लाह की हाथ है। (तिरमिज़ी: 6167)

और इब्ने रजब ने हदीस ''अल्लाह ने यहूदियों और इसाईयों को धिककारा है। जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों का मसाजिद बना लिया'' की व्याख्या करते हुए कहा है कि कब्रों के पास नमाज के अवैध होने पर इमामों की सहमती है। उन्होंने कहा कि इस्लाम के इमाम इस अर्थ पर सहमत हैं यानी कब्रों पर नमाज पढ़ना वर्जित है।

इसी प्रकार इब्ने तैमिया ने भी उनकी सहमती व्यक्त की है। जैसा की उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी नबी या बुर्जग की कब्र पर नमाज का क़स्द करे उस जगह नमाज पढने को बरकत का कारण समझते हुए तो यह अल्लाह और उसके रसूल से कटटर दुश्मनी है उसके धर्म का उलंघन और दीन में नई चीज़ जारी करना है जिसकी अनुमती अल्लाह ने नहीं दी है। क्योकि मुसलमान उस बात पर सहमत हैं नबी (स.अ.व.) के दीन के सम्बम्धा में आवश्यक रूप से जानते हैं कि किसी प्रकार की कब्र पर नमाज़ पढ़ने की कोई फजीलत नहीं है और न ही उस जगह नमाज़ पढ़ने का कोई लाभ है बल्कि उससे हानी है।

उन्होंने यह भी कहा कि इसी लिए सलफ में से किसी ने यह नहीं कहा कि कब्र के पास नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है उसमें फजीलत है और न ही वहाँ नामज़ पढना और दुआ करना उसके अलावा की जगह में नमाज़ पढ़ने और दुआ करने से ज़्यादा बेहतर है। बल्कि आम सहमती है कि मस्जिदों और घरों में नमाज़ पढ़ना नबियों और बुर्जगों की कब्रों पर नमाज़ पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है।

उन्होंने यह भी कहा कि ओलेमा की इस

बात पर सहमती है कि कब्रों के पास नमाज और दुआ का कस्द करना जायज नहीं है। मुसलमानों के इमामों में से किसी इमाम से मंकूल नहीं कि किसी कब्र के पास की नमाज़ एवं दुआ बिना कब्र वाली मस्जिदों की नमाज़ और दुआ से ज्यादा बेहतर है बल्कि मुसलमानों के ओलेमा की सहमती है कि बेकब्र वाली मस्जिदों की नमाज़ और दुआ कब्र वाली मस्जिदों की नमाज़ और दुआ से ज्यादा बेहतर है बल्कि उनकी सहमती है कि क़ब्र वाली मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने और दुआ करने से रोका गया है।

और बहुत से लोगों ने ऐसी नमाज़ को निषेध कहा है बिल्क उसको बातिल करार दिया है।

उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों के इमाम इस पर सहमत हैं कि मशाईर में नमाज़ पढ़ने की आज्ञा नहीं है न ही यह अनिवार्य है और न ही मस्जिद के अलावा कब्रों अथवा किसी ज़मीन पर बने मज़ार में नमाज़ पढ़ने की कोई फ़जीलत है। जो यह विश्वास रखता है कि उन के पास नमाज़ कुछ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से ज्यादा बेहतर है तो मुस्लिम समुदाय से अलग हो गया और उसने धर्म को फाड़ डाला। बल्कि इमाम इस पर सहमत हैं कि उनमें नमाज़ पढ़ना

निषेध है यही वह अर्थ है जिनकी व्याख्या दीन के इमामों जैसे अस्हाबे मालिक, शाफई, अहमद अहले इराक और उनके अलावा ने की है। बल्कि वह अनस से भी मंकूल है।

पिछली हदीसों से हमारे लिए यह स्पष्ट हो गया कि कब्रों के पास नमाज़ पढ़ने की मुमानअत के लिए निश्चित प्रमाण है। कैसे नहीं? जबकि पांच ऐसे सेग़े वारिद हुए है जिस में ऐसा करने वाले के लिए कड़ी फटकार है।

पहलाः ऐसा करने वाले को धिककार गया है।

दूसराः वह यहूदियों और ईसाइयों की सुन्नतों और उनके तरीकों में से है।

तीसराः इस काम से स्पष्ट रूप से रोका गया है। जैसे आप सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम का कौलः तुम मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना।

चौथाः ऐसा करने वाले को बर्बाद होने की बददुआ दी गई। यानी अल्लाह उसको गारत करे।

पांचवाः ऐसा करने वाले की सिफत बयान की गई कि कयामत के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे बुरे लोग होंगे।

क्या इन फटकार के बाद भी अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखने वाला कब्रों के पास नमाज़ के हराम होने के बारे में वाद विवाद

करेगा।

कब्रों के पास नमाज़ पढ़ने के बारे में कुछ उलमा-ए-इस्लाम की राये

इमाम शाफई र. ने कहा है कि हमें इमाम मालिक र. खबर दी कि रसूल (स.अ.व.) ने फरमाया अल्लाह तआला यहुदियों और ईसाईयों को बरबाद करे उन्होंने अपने नबियों के कब्रों को मस्जिद बना लिया। अरब की धरती पर दो धर्म एक साथ नहीं रह सकते।

उन्होंने कहा यह काम सुन्नत और आसार की वजह से नापसंदीदा हैं और किसी मुसलमान की कब्र को मस्जिद बना लेना मकरूह है। यह कराहत हराम के अर्थ में है। पिछले लोगों के नजदीक जैसा कि कुरआन में कराहत शब्द का अर्थ हराम बतया गया है। इस आयत में (وكـــره اليـكـم الـكـفر والفسوق والعصيان) और बाद के लोगों (उलमा) के नजदीक कराहत का अर्थ होता है: जिस के छोड़े वाले को सवाब दिया जाए और उसके करने वाले को सज़ा न हो। और इमाम शाफई के कहने का मतलब भी पहला वाला अर्थ है।

अबू बकर अल- अस्रम कहते हैं कि मैंने

अहमद बिन हम्बल को कहते सुना जब उनसे मक़बरे में नमाज़ पढ़ने के बारे में पुछा गया तो उन्होंने नापसंद किया, तब उन से कहा गया मस्जिद कब्रों के बीच में होती है तो उस में नमाज़ पढ़ना कैसा है तो उन्हों ने भी इसे नापसंद किया।

अहमद ही से कहा गया कि मस्जिद और कब्र के बीच कोई रूकावट हो तब नमाज़ पढ़ना कैसा है? अहमद ने जवाब दिया फर्ज नमाज़ मकरूह है लेकिन जनाज़े की नमाज़ पढ़ी जा सकती है। इमाम अहमद ने अबू मरसद गनवी की हदीस का ज़िक्र किया जो उन्होंने नबी (स.अ.व.) से रिवायत किया है कि ''कब्रों की तरफ मुंह कर के नमाज़ न पढ़ों'' और कहा कि इस हदीस की सनद जैयिद है। (फतहुल बारी/ इब्ने रजब: 3/195)।

इब्ने अब्दुल बर अपनी किताब ''अल-तमहीद'' में लिखते हैं: ''इमाम अबू हनीफा, औजाई, इमाम शाफई और उनके शिषयों के नज़दीक कब्रगाह में नमाज़ मकरूह है। (किताब उकूतुस्सलात, बाबुन नौम अनिस्सलात)

इब्ने कुदामा अपनी किताब ''अल-मुग़नी'' में कहते हैं कि हजरत अली, इब्ने अब्बास, इब्ने उमर, अता, नखई और इब्नुल मुंज़िर ने भी

कब्रगाह में नमाज़ मकरूह माना है। (बाबूस्सलात फिन नजासा वगैरे ज़ालिक(2/468)

शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया कहते हैं कि अधिकांश फिक्ही पंथों के धर्म गुरूओं ने कब्रगाहों में मस्जिद बनाने के निषेध होने की सराहत की है। मसलन इमाम मालिक, शाफई, और अहमद के अनुयाई एवं कुफा के उलमा ने भी। अधिकांश उलमा ने इससे हराम के दरजे में रखा है और इस संबंध में कोई संदेह भी नहीं होना चाहिए क्योंकि नबी (स.अ.व.) ने शिद्दत से इससे रोका है और ऐसा करने वालों पर लानत भेजी है। (मजमुउल फतावा, (27/160)

कब्रों को मस्जिद बनाने रूप

कब्रों को मस्जिद बनाने के तीन रूप हैं

(1) यह कि कब्र खुली हुई ज़मीन में हो। कब्रिस्तान में हो या चटियल मैदान में और आदमी जा कर उस के पास नमाज़ पढ़े।

(2) यह कि कब्र मस्जिद के इमारत के अंदर हो चाहि कब्र मस्जिद की इमारत से पहले बनी हो और उस के बाद मस्जिद बनाई गई हो। अथवा मस्जिद पहले बनाई गई हो बाद में उस में मुर्दा दफन किया गया हो। चाहे कब्र मस्जिद के किबला की ओर हो या पीछे हो या दायें हो या बायें।

(3) यह कि कब्र मस्जिद के आंगन में हो जैसा कि कुछ मस्जिदों की स्थिति है। जहाँ मस्जिद आंगन से घिरी हुई होती है पास में दीवार होती है। या चेहारदिवारी होती है जो मस्जिद की जमीन को घेरे हुई होती है। ऐसी स्थिति में कब्र के पास नमाज़ पढ़ना कब्रों को मस्जिद बनाना माना जाएगा। क्यों कि कब्र मस्जिद के लिए वक्फ जमीन के भीतर होती है।

कब्रों को मस्जिद बनाना हराम है चाहे नमाज़ी के लिए कब्र की जगह जहाँ भी हो।

कब्रों के उपर बनी हुई मस्जिदों में नमाज़ हराम है। हर स्थिति में। चाहे कब्र मस्जिद में हो या क़ब्रगाह में या चटियल मैदान मैं। या चाहे कब्र नमाज़ी के सामने हो या उसके पीछे या उसके दायें या उसके बायें या खुली हुई जमीन में हो या मस्जिद में हो। या वह मस्जिद जिस के अंदर कब्र हो वह पहले बनाई गई बाद में मुर्दा दफन किया गया हो या कब्र पहले से हो बाद में मस्जिद बनाई गई हो या कब्र उसी मंज़िल पर जिस पर नमाज़ी नामज़ पढ़ता या ऊँची मंज़िल पर या नीचली मंज़िल पर या कब्र मस्जिद के भवन के अंदर हो या उसके आंगन में हो क्यों कि मस्जिद का आंगन मजिस्द के तेहत होता है। जब कब्र वाले का सम्मान इन तमाम स्थितियों में एक जैसा हो तो ऐसी सूरत में वहाँ नमाज़ पढ़ना हराम है क्योंकि इस्लामी शरीयमत में यह बात सबको मालूम है कि शरियत का हुक्म अपने कारण के साथ उपस्थित अथवा अंउपस्थित होता

है और यहाँ कारण नमाज़ की जगह पर कब्र की उपस्थिति है। नतीजजत नमाज़ में ध्यान अल्लाह के बजाए मुर्दे की ओर जाएगा।

तंबीह

इस की हुरमत और शदीद हो जाती है जब नमाज़ कब्र की ओर हो दो कारणों से

(1) नमाज़ पढ़ने वाला जब कब्र को अपने सामने रखता है तो उस के दिल में साहबे कब्र की बहुत ज्यादा अज़मत होती है।

(2) यह काम बुत प्रस्तों के काम के मुशाबेह है जो अपने माबूदों को अपने सामने रख कर इबात करते है। यह अपने आप में मुन्कर है।

कब्रों के पास नमाज़ पढ़ने का हुक्म वैधता सेहत अथवा अवैधता (बुत्लान) के दृष्टिकोण से

कोई पूछने वाला पूछ सकता है कि हमें मालूम हो गया कि कब्रों के पास नमाज़ दुरूस्त नहीं लेकि कोई पढ़ ले तो बातिल हो जायगी और उसे लोटाना पड़ेगा? या गुनाह होगा और नमाज़ दुरूस्त होगी?

जवाबः एसी नमाज़ के दूरूस्त होने के बारे में उलेमा के कई मत हैं कुछेक ऐसी नमाज़ बातिल मानते हैं यही कथन में इब्ने तैमिया और इब्ने हज़्म का है।

इब्ने तैमिया के शिष्य इब्ने कैयिम कहते है। ''इस प्रकार की मस्जिद में नमाज़ दुरूस्त नहीं'' (زاد المعاد ٣/ ٥٧٢)

सारांश यही है कि अधिकांश उलमा के यहाँ कब्रों के पास नमाज़ दुरूस्त नहीं। कुछ उलमा यह भी कहते है कि नमाज़ हो जायगी किन्तु उसे गुनाह होगा। इस लिये बेहतर यही है कि इस से बचा जाए।

अपवाद

कब्रों के पास वही नमाज़ मना है जो रूकू

सजदे वाली हो। जनाजे की नमाज़ कब्रगाह में जायज़ है। और इसकी दलील अबू हुरैरा की यह हदीस है कि एक काला आदमी या काली औरत जो मस्जिद में झाड़ू लगाती थी। उसका इन्तिकाल हो गया, नबी (स.अ.व.) ने उसके बारे में पूछा तो बताया गया कि उसका इन्तिकाल हो गया। आप ने फरमाया मुझे क्यों नही बताया? उसकी कब्र बताओ। फिर उसकी कब्र पर आपने नमाज़ पढ़ी। (رواه البخارى:٤٥٨، واللفظ له و مسلم :٩٥٦)

इब्ने हिब्बान ने अपने किताब अल-मजरूहीन (المجروحين) के अन्दर बकर बिन ज़्याद बाहली, अब्दुल्लह बिन मुबारक, सईद बिन अबी उरूबा, ज़रारा बिन औफा और अबु हुरैरा रज़ी अल्लाह हु अन्हुम से रिवायत है कि नबी सल लल्लाह ने कहा (मेराज की रात मुझे बैतुल मुकद्दस का सैर कराया गया, जिबरईल ने मेरे बाप के क़बर से मेरा गुज़र करवाया और कहा ए मुहम्मद यह तेरे बाप इबराहीम की कब्र है।

फिर मेरा गुज़र बैते लहम के पास से हुआ और कहा यहाँ ठहरो और दो रकअत नमाज़ पढ़ो यकीनन यहाँ मेरे भाई के लड़के ईसा है। फिर मुझे वादी में लाया गया और कहा यह आसमान की उचाई है।

कुछ लोगों का ख़्याल है कि इस हदीस में

क़ब्र के पास नमाज़ के जवाज़ की दलील मिलती है। तो जवाब यह है कि यह हदीस मनगढ़त है। इब हिब्बान ने इसको रिवायत किया है। फिर कहा मोहम्मद बिन अहमद बिन ईबराहीम ने इसको रमला से रिवायत किया है। फिर कहा। अब्दुल्लाह बिन सुलैमान बिन उमैर अल-बलवी अल-मकदसी ने हमसे रवायत किया। फिर कहा। बकर बिन ज़्याद अलबाहली ने हमसे ब्यान किया।

इब्ने हिब्बान ने बकर के बारे में कहा कि वह दज्जाल है और सिकह (विश्वसनीय) रावीयों पर हदीस को गढ़ता है किताबों में सिर्फ उसकी खराबियों की ही जिक्र मिलता है।

जहबी ने ''मीज़ा नुल एतदाल'' (ميـــــزان الاعتدال) में इब्ने हिब्बान की सदाक़त का एतराफ किया है। ''तरतीबु मौजुआत'' में इसका ज़िक्र किया है। शौक़ानी ने भी इसको (एलफवाईद अल मजमुआ फिल अहादीस अलमौजोआ) (الـفـوائـد الـمـجـوعة فى الاحاديث الموضوعة)में ज़िक्र किया है।

इब्ने जौज़ी ने इब्ने हिब्बान ही की तरह किताब (अलमौजुआत मिन अहादीस अल-मरफुआत) (الـمـوضوعات من احاديث المرفوعات) रिवायत किया है।

क़ब्रों पर मस्जिद के निर्माण का मसला

क़बर के पास सिर्फ नमाज़ पर लोगों ने एकतफा नहीं किया है बल्कि उन्हों ने उस पर मसाजिद तामीर की नमाज़ काईम करने के लिए और दवाम के साथ साबित रहे चाहे वह फर्ज नमाज़ हो या नफल। उनका मानना है कि क़ब्र वाली मस्जिदों में नमाज़ अदा करने का बहुत बड़ा अज्र है और जो मसाजिद क़ब्र के नज़दीक होती है वहाँ ज़्यादा दुआ कुबूल होती है। बनिस्बत उन मसजिद के जो क़ब्रों से दुर होती है।

बल्कि कुछ लोग मसाजिद की तामीर में बहुत माल खर्च करते हैं फिर यह वसीअत करते हैं कि उसे उसमें दफन किया जाए।

और जब हम नबी की सुन्न्त की तरफ लौटते है तो हमे पता चलता है कि नबी ने ऐसे पर लानत भेजा है और यह बताया है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक बहुत घटिया इंसान होगा।

कब्रों पर मस्जिद निर्माण की मुमानअत की दलीलें

(بيان ادلة النهى عن بناء المساجد على القبور)

इस लेख के पहले हिस्से में नौ सही हदीसों का ज़िक्र हो चुका है जिनमें कब्रों को मसजिद बनाने की मुमानअत आई है। हमने यह भी जाना कि कब्रों को मसजिद बनाने का सबसे प्रचण्ड रूप यह है कि उसपर मसाजिद बना दिया जाए।

दसवीं दलील

जो कब्रों पर मसजिद के बनाने के ममानीयत में खास और साफ है। और वह आएशा रजी. से मरवी है कि उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा ने एक एसे गिरजाघर के बारे में बताया जिसे उन्हों हब्शा में देखा था जहाँ ईसा (अ.) की तसवीरे रखी हुई थी तो रसूल (स.) ने कहा यह वही लोग है जिन के नेक आदमी मर जाते है तो उनके कब्र पर मसजिद बना देते हैं और वहाँ इन की तसवीरों को रख देते हैं, कयामत के दिन एसे लोग अल्लाह के पास सबसे बुरे होंगें। (बुखारी:427, मुस्लिम:528)

इब्ने अब्दुल बर रहीमहुल्लाह ने कहा है कि मुसलमानों पर यह हराम है कि वह नबियों, उल्माओं और नेक लोगों के कब्रों पर मसजिद बनाएं।

इब्ने रजब रहीमहुल्लाह ने कहा है कि यह हदीस नेक लोगों की कब्रों पर मस्जिद के बनाने की हुरमत को बताती है और उनके शक्लों की तस्वीर कशी पर भी जैसा के ईसाई लोग करते थे और इसमें कोई शक नहीं है कि इन दोनों में से हर एक हर आदमी पर हराम है। आदमियों की शक्लों को बनाना हराम है। किसी की भी कब्र पर मस्जिद का बनाना हराम है। जैसा के दुसरी दलील इस पर साफ है।

ग्यारहवीं दलीलः

इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह हु अन हुमा से रिवायत है कि नबी ने कब्रों पर ज़ियारत करने वालीयों पर लानत भेजा है। और उसपर मस्जिद बनाने वाले, चिराग चलाने वालों पर लानत भेजा है।

बारहवीं दलीलः

कब्रों पर मस्जिद के बनाने के मुमानियत में कुरआन से दलीलः

इब्ने रजब रहीमहुल्लाह ने कहा : कुरआन की आयत वही बताती है जो यह हदीस बताती

है। अल्लाह का यह फरमान:

(قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذون عليهم مسجدا)(الكهف:٢١)

(और जो लोग उनके मामले में हाबी थे उन्हों ने कहा कि हम उनकी कब्रों पे मस्जिद बनयेंगे।)

मस्दिजों पर कब्रों की तामीर करना।

तेरहवीं दलीलः

सहाबा ताबिईन का इजमा एकमत है कि पहली तीन शताब्दियों में लोगों पर फज़ीलत हासिल है वह मस्जिद में दफन करने के काईल नहीं है और इसी तरह कब्रों पर मस्जिदों के बनाने में भी चाहे जिनकों दफन किया गया वह अपने जमाने के बहतरीन इंसान हो और अफज़ल तरीन उम्मत हो।

कब्रों पर मस्जिदों के बनाने में सहाबा की नापसंदीदगी का जिक्र आया है। जिसको इब्ने अबी शैबा ने अपनी किताब (مصنف) में अनस से रवायत किया है कि वह कब्रों के दरमियान मस्जिदों के बनाने को नापसंद करते थे। ताबिईन ने भी कब्रों पर मस्जिद बनाने को नापसंद किया है। जिसको इब्ने अनी शैबा ने इबराहीम नख़ई से रिवायत किया है कि वह कब्रों पर मस्जिद के बनाए जाने को पसंद नहीं करते थे।

अलबानी रहीमहुल्लाह ने कहा: ''इबराहीम यह इब्ने यजीद अंनखई हैं और ताबई सगीर है। जिनकी मृत्यु 96 हिजरी में हुई। यह हुकम यकीनन कुछ सहाबा या उनके जानने वालों से

प्राप्त किया। इसमें खुली दलील है कि वह लोग इस हुक्म को बाकी और नबी के बाद बरक़रार रहने को देखते है।''

इब्ने तैमिया रहीमहुल्लाह ने कहा: कब्रों पर बनाई गई मस्जिदों को ''मशहिद'' का नाम दिया जाता है जो इस्लाम में नई बात या चीज का अविष्कार करना है जो इस्लाम में बिदअत है। कुरूने सलासह (प्रथम तीन शताब्दी) में ऐसी कोई भी चीज नहीं बनाई गई। जबकि इब्ने तैमिया ने माना कि कब्रों पर मस्जिदों का बनाना तीसरी सदी के आखिर में पाया जाता है। कब्रों पर मस्जिदों का जुहूर और उनका जगह जगह फैल जाना यह उस समय हुआ जब बनु अब्बास की हुकुमत और सरदारी कमजोर पड़ गई और उम्मत कई हिस्सों में बंट गई। मुसलमानों के कपड़ों में अक्सर उस वक्त काफिर थे और उसके अंदर बिदअत का बोल बाला था और यह तीसरी सदी के आखिर में मुकतदिर के ज़माने में हुआ। फिर मग़्रिब की जमीन पर करामत का जुहूर हुआ फिर वह लोग मिस्र आए और उससे बनु बुवैह का जुहूर हुआ और उनमें से अक्सर काफिर और अहले बिदअत थे।

मज़ाहिबे अरबा (चारों फिक़्ही पंथो) में कब्रों पर मस्जिद बनाना हराम है।

कब्रों पर मस्जिद बनाने के सम्बम्ध चारों फिक्ही पंथों की राय

हदीस में वारिद हुरमत की बुंयाद पर चारों इमाम ने कब्रों पर मस्जिद बनाने को हराम कहा है। नीचे उनके कथन आ रहे हैं।

अहनाफ़ का मतः इमाम मुहम्मद (स.अ.व.) ने कहा जो इमाम अबु हनीफा के विद्यार्थी हैं:

हम मकरूह जानते हैं कब्रों को पलास्टर करने या उसके पास मस्जिद बनाए जाने को। अहनाफ के नज़दीक मकरूह का इतलाक हुरमत पर होता है। जैसा के यह उनके यहाँ मशहूर है।

शमशुद्दीन अलअफगानी ने अपनी किताब में अध्याय बाँधा है। और इसमें उलमाए अहनाफ के काविशों का जिक्र किया है कुबुरीया (कब्र प्रस्त) के अकाईद को बातिल करने में। फिर कुछ शुबहात को नकल किया है। जो इस पर उठते है। और उसका जवाब दिया है।

मालिकिया का मजहबः कुरतुबी ने (الجامع للاحكام القرآن) में कहा है कब्रों पर मस्जिद बनाना, उसपर नमाज़ पढ़ना और इसके

अलावा जो भी इस जिम्न में आता है मना है और जाएज नहीं है।

हमारे उलेमाओं ने कहा: आलिमों और नबियों के कब्रों को मस्जिद बनाना हराम है। अबू मुरसद ग़नवी से रवायत किया है उन्हों ने कहा: मैंने नबी को कहते हुए सुना (कब्रों पर नमाज़ मत पढ़ो और नहीं उसके पास बैठो)यानी कब्रों को नमाज़ पढ़ने के लिए किबला मत बनाओ जैसे कि यहूद और ईसाई करते है। क्यों कि वह कब्रों में पड़े आदमी की इबादत की तरफ ले जाता है। जैसा कि वह बुत और मुर्ति की इबादत का सबब था।

मोहम्मद अमीन बिन मोहम्मद अलमुख्तार शंकीती ने कहा जो मालकी मसलक के हैं कब्रों पर मस्जिद बनाने और कब्रों के पास नमाज़ के हराम होने में उनके दरमीयान एक लम्बी बहस है जिनको उन्होंने अपनी किताब (اضواء البيان) में (ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين) की तफसीर में जिक्र किया है।

शाफई का मजहब: ईमाम शाफई रहीमहुल्लाह ने अपनी किताब (الأم) के अन्दर कहा: मैं नापसंद करता हूँ कि कब्रों को मस्जिद बनाया जाए।

इमाम नववी ने कहा: शाफई और उनके

मानने वाले के नुसूस कब्र पर मस्जिद के बनाने की कराहत पर मबनी है।

जलाजुद्दीन सुयूती रहीमहुल्लाह ने अपनी किताब (الامر بالاتباع و النهى عن الابتداع) में कहा: उसके अलावा जो भी बिदआत है जैसे कब्रों के पास नमाज़ पढ़ना। उसको मस्जिद बनाना या उस पर मस्जिद बनाना, तो नबी की मुतवातिर हदीसों से इन चीज़ों की मुमानियत का पता चलता है। और उसके करने वाले पर लानत है। जहाँ तक रही कब्र पर मस्जिद बनाने और उसके पास चराग, अगरबत्ती और लैम्प जलाने की, तो ऐसा करने वाले पर लानत है जैसा कि नबी की हदीस इस सिलसिले में आई है।

हनाबलह का मज़हब: इब्ने कुदामा रहीमहुल्लाह ने कहा: कब्रों पर मस्जिद बनाना जायज नहीं है। इसलिए कि नबी ने फरमाया: (यहूद पर अल्लाह की लानत हो उन लोगों ने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया और नबी ने ऐसा करने से डराया है। इसलिए कि कब्रों के पास नमाज़ को खास करना बुतों की इज्जत के मुशाबिह रखता है उस के लिए सज्दा और कुरबत के जरिये। और यह बताया जाता है कि बुतों के पुजा की शुरूआत और प्रारंभ मुर्दों की ताजीम से हुई है उनकी तस्वीर बना कर उसे

चूम कर और उसके पास नमाज़ पढ़कर।

इब्ने तैमिया रहीमहुल्लाह से पुछा गया: क्या ऐसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ना सही है जिसमें कब्र हो और लोग उस में जमाअत और जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए जमा होते हों?

तो इब्ने तैमिया ने जवाब दिया: तमाम तारीफ उल्लाह के लिए है। उम्मत का इत्तिफाक हैं कि कब्र पर मस्जिद नही बनाई जा सकती है। इसलिए कि नबी ने फरमाया (तुमसे पहले के लोग कब्रों की मस्जिद बना लेते थे। लेहाजा तुम लोग कब्रों को मस्जिद मत बनाओ, यकीनन मैं तुम्हें ऐसा करने से मना करता हूँ) इसलिए मुर्दों को मस्जिद में दफन करना जाएज़ नहीं है। अगरचे मस्जिद को दफन से पहले बदल दिया हो कब्रों को बराबर करके या फिर खोद करके अगर वह नई हो। और अगर मस्जिद कब्र के बाद बनी हो, तो फिर मस्जिद को गिरा दें या कब्र को खतम कर दिया जाए, कब्र पर बनाई गई मस्जिद में न फर्ज और नफिल नमाज़ पढ़ी जाएगी। क्योंकि ऐसा करना मना है।

इब्ने तैमिया ने यह भी कहा: कब्रों को मस्जिद बनाने की मुमानियत में, कब्रों पर मस्जिद बनाने की मुमानियत भी शामिल है। और इसी तरह उसके पास नमाज़ के इरादा से भी। यह

दोनों उलमा के इत्तफाक से मना है। उन्होंने कब्रों पर मस्जिद बनाने से मना किया है। और इसकी हुरमत को वाजेह कर दिया है। जैसा कि इसकी दलील है।

इब्ने कैयिम ने उस फायदा का ज़िक्र किया है जो जरार मस्जिद के किस्सा से हासिल होता है। जिसको मुनाफिकों ने बनाया था। उसमें से एक फायदा यह है कि बेग़ैर भलाई और कुरबत के वक्फ सही नहीं है जैसा कि यह मस्जिद सही नहीं है। कब्र पर मस्जिद बनाई गई हो तो मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा जैसा कि मुर्दा को खुद कर निकाला जाता है। जब मस्जिद में दफन कर दिया जाए। इमाम अहमद और उसके अलावा ने उसकी वजाहत की है। कि इस्लाम धर्म में मस्जिद और कब्र एक साथ जमा नहीं हो सकते।

फिर अगर दोनों को साथ रखा गया तो वह जायज़ नहीं है। न ही इस मस्जिद में नमाज़ सही होगी। नबी ने इस से मना किया और कब्र को मस्जिद बनाने को लानत की वजह से और उस पर चराग जलाना सही नहीं है। यही वह इस्लाम धर्म है जिसे अल्लाह ने नबियों और रसूलों को दे कर भेजा।

(زاد المعاد)में भी गज़वा-ए-ताएफ के फायदा का जिक्र करते हुए कहा: उन में से एक

यह है कि शिर्क और तागूत की जगहों को उसके तोड़ने और ख़ात्म करने की ताकत रखने के बावजूद बाकी रखना जायज़ नहीं है। यकीनन यह कुफ्र और शिर्क का तारीका है। और यह बहुत बड़ा गुनाह है। ताकत रखने के बावजूद उसको बाकी रखना जायज नहीं है। इसी तरह उस मज़ारों का हुकुम है जो कब्रों पर बनाया गया है। जिन में बुत और तागूत को बनया गया है, गैरूल्लाह की इबादत के लिए और वह पत्थर जिससे इज़्ज़त, तबररूक और नज़र का इरादा करते है। इनमें से किसी को भी उसके खत्म करने की ताक़त रखने के बावजूद इस जमीन पर बाकी रखना सही नहीं है। उनमें से अकसर लात, उज्जा और मनात की जगह ले लेंगे। यह बहुत बड़ा शिर्क है।

इस गुफतगू के बाद उमर रजी अल्लाहु उन्हु के शजरे रिजवान काटने के सिलसिले में कहा कि नबी ने मस्जिद-ए-जिरार को ध्वस्त करवा दिया। तो इस बात का सबूत मिलता है कि जिससे फसाद पैदा होता है उस को तोड़ देना है। जैसे कब्रों पर मस्जिद बनाना और इस्लाम में उसका हुक्म यह है कि इन सभी को तोड़ दिया जाए यहाँ तक के जमीन बराबर हो जाए और यह मस्जिद-ए-जरार के विधवंस करने से ज्यादा

बेहतर है।

अल्लामा शौकानी ने कहा है कैसे कहा जा सकता है कि मुसलमानों ने ऐसा करने वालों को मना नहीं किया हालाँके वह लोग इससे मना करते रहे हैं और ऐसा करने वालों पर लानत भेजा है। हर ज़माने के उलमा इससे बराबर मना करते रहे और इसे रोकने में मुबालगह करते रहे है। इब्ने कैयिम ने बयान किया है कि आम मुसलमान ने कब्रों पर मस्जिद बनाने की मुमानियत को साफ किया हैं फिर कहा: अहमद, मालिक, शाफई ने भी इसकी हुरमत को साफ किया है। एक गिरोह ने कराहत का इतलाक किया है। लेकिन मुनासिब है कि इसको तहरीम की कराहत पर महमुल किया जाए।

कुछ संदेह और उनका उत्तर

पहला संदेहः

मस्जिद नबवी में नबी (स.अ.व.) की कब्र होने के कारण बहुत से लोगों ने कब्रों पर मस्जिदों के निर्माण की अनुमति दी है। यदि यह हराम (निषेध) की होता तो आप (स.अ.व.) उसमें दफनाये नही जाते।

इस संदेह का उत्तरः

नबी (स.अ.व.) मस्जिद में नहीं दफनाये गए। बल्कि आप अपने घर आयश रजी अल्लाहु अन्हा के कमरें में दफनाये गए। जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है। यह एक प्रसिद्ध मामला है जिसमें कोई विवाद नहीं। मस्जिद उस समय नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के घर से उस दीवार से अलग थी जिस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम निकलते थे। और प्रवेश करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सभी सहाबा के निधन के बाद अठ्ठासी हिजरी में मुसलमानों को मस्जिद का विस्तार करने की अवश्यकता पड़ी और वह वलीद बिन अब्दुल मलिक के उत्तरधिकार में था। उन्होंने रसूलुल्लाह

(स.अ.व.) की पत्नियों के कमरों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मस्जिद में दाखिल करने का आदेश दे दिया। इस लिए आयशा के घर को पूरी तरह से मस्जिद में सम्मिलित किया गया। चुनानचः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कमरा मस्जिद में हो गया। जिस में आप की कब्र भी शामिल है। उनके बाद के कुछ लोगों का ख्याल हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कब्र मस्जिद में शुरू ही से है। लेकिन ध्यान दिया जाना चाहिए कि मस्जिद नबवी का विस्तार कई बार किया गया है जब मुसलमानों की संख्या बढ़ी उमर और उसमान के युग में भी, लेकिन उन्होंने कमरों की तरफ से विस्तार नहीं किया बल्कि दूसरी तरफ से किया।

इसी लिए जब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु ने मस्जिद नबवी का विस्तार किया तो उन्होंने नबी के कमरा को नहीं छेड़ा जो मस्जिद से मुत्तसिल (जुड़ा) है। बल्कि उन्होंने कहा कि उस के लिए कोई रास्ता नहीं है।

अल बानी रहेमाहुल्लाह ने कहाः इसी लिए हम वलीद बिन अब्दुल मलिक की गलती पर मानते हैं।

अगर वह मस्जिद का विस्तार करने के

लिए मजबूर हो गए थे तो वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कमरा को छेड़ छाड़ किए बिना अन्य दिशाओं से इसका विस्तार करने में सक्षम थे।

अल्लामा हाफिज मुहम्मद बिन अब्दुल हादी रहेमहुल्लाह ने (الصارم المنكى) में कहा:

हुजरा ए नबवी को मस्जिद के अंदर वलीद बिन अब्दुल मलिक की खिलाफत में प्रवेश किया गया उस समय मदीना के सभी सहाबा का निधन हो चुका था। मदीना में निधन होने वाले अंतिम सहाबी जाबिर बिन अब्दुल्लाह हैं उनका निधन वलीद की खिलाफत में हुआ। क्योंकि उनकी मृत्यु अठहत्तर (78) में हो गई थी। और वलीद ने अठ्ठासी में पद संभाला और छियानवें में उनका निधन हो गया। इसलिए मुस्जिद नबवी का न्या निर्माण और हुजरा-ए-नबवी को उस के अंदर प्रवेश करने का वाकया इसके दरम्यान का है। और उन्हों ने यह भी कहा: ''सहाबा के युग में हुजरा मस्जिद से बाहर था और उस से जुड़ा हुआ था। और उसे उसमें अब्दुल्लाह बिन उमर अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन जुबेर और अब्दुल्लाह बिन अमर के निधन के बाद बल्कि मदीना में रहने वाले सभी सहाबा के निधन के बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान की

खिलाफत में प्रवेश किया गया।''

इसी लिए इब्ने कसीर रहेमहुल्लाह ने (अलबिदाया वन निहाया) (البداية والنهاية)में बयान किया है। कि सईद बिन मुसैयिब जो एक बड़े ताबेई हैं ने इस बात की निंदा किया है कि वलीद बिन अब्दुल मलिक ने आयशा रजी अल्लाह अन्हा के कमरे को जिस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कब्र है को मस्जिद में सम्मिलित किया है और इसी लिए अल्बानी ने टिप्पणी करते हुए कहा: वलीद के बारे में सईद की निंदा बईद (असम्भव) नहीं है। क्योंकि वह एक ताबेई है और वह अबुहुरैरा की हदीस के रूवात में से एक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा: अल्लाह यहूदियों को गारत करे उन्होंने अपने नबियों की कब्रो को मस्जिद बना लिया। वलीद (अल्लाह उन्हें माफ़ करे) ने यह काम लोंगों से सलाह लिए बिना किया और उसका काम दलील नहीं है।

और मुसलमानों ने वलीद द्वारा किए गए उल्लंघन को कुछ हद तक कम करने की कोशिश की है। इस लिए उन्होंने उस घर की दीवार को उठाया दिया जो किबले की दिशा में स्थित है ताकि नमाजियों के लिए इबादत की

सूरत में कब्र का तसव्वुर न हो। इब्ने रजब ने कहाः कुरतुबी रहेमहुल्लाह तआला ने फरमायाः मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कब्र में तबररूकत को रोकने के लिए मुबालगा किया। उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कब्र के साथ घेर दिया फिर उन्हें आप की कब्र की जगह को किबला बनाए जाने का डर हुआ जब वह नमाजियों के सामने हो और इबादत की सूरत में उसकी तरफ रूख करके नमाज पढनें का तसव्वर हो। इस लिए उन्होंने कब्र के दो उत्तरी कोनों से दो दिवार बनाई और उन्हें खूब धुमाया यहाँ तक कि वे उत्तर की ओर एक तिकोणीय कोने पर मिल गई ताकि कोई उनकी कब्र की तरफ रूख न कर सके। इसी कारण आयश ने कहा अगर मज़ार बनाने का डर न होता तो आपकी कब्र उजागर रखी जाती।

इस संदेह के जवाब का सारांश तीन है।

पहलाः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मस्जिद में नही दफनाया गया बल्कि आप को उनके कमरों दफनाया गया।

दुसराः सहाबा ने हुजार-ए-नबवी को मस्जिद में प्रवेश किये जाने का मुशाहदा नहीं किया अगर वे होते तो विस्तार कमरों की तरफ से नहीं होता खुलफा-ए-राशिदीन के जमाने में

मस्जिद का विस्तार कई बार हुआ है लेकिन विस्तार ने हुजरात-ए-नबवी को शामिल नहीं किया ।

तीसराः हुजरा-ए-नबवी को मस्जिद में सम्मिलित करना वलीद बिन अब्दुल माकि (अल्लाह उन्हें क्षमा करे) की गलती थी।

तन्बीहः

अगर मस्जिद नबवी के मामलों कें जिम्मेदार अब मस्जिद नबवी की सीमा को पहले की जगह वापस करते हैं तो यह बेहतर और फितना से दूर होगा और यह कमरा की पश्चिमी दीवार को मस्जिद से एक ऐसी दीवार से अलग करना है जो मस्जिद की दक्षिणी दीवार से उत्तर की ओर की दीवार नमाज़ के लिए तसवउर न की जाए। फिर पूर्व की ओर एक दीवार झुकाई जाए जो मस्जिद की पूर्वी दीवार से जा मिलती हैं जिसका निर्माण आधुनिक विस्तार में पुरा हुआ जिसे राजा फ़हद बिन अब्दुल अजीज रहेमाहुल्लाह ने अंजाम दिया। अगर वे ऐसा किये होते तो यह अच्छा होता और लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कब्र के सामने होने से रोक दिया जाता। अल्लाह उन्हें इसकी तौफीक दे आमीन।

दूसरा संदेहः

उनमें से कुछ ने उस रिवायत की बुनयाद पर कब्रो पर मस्जिदों के निर्माण की अनुमति दी है जिसे तबरानी ने रिवायत किया है उन्होंने कहा: हम से अबदान बिन अहमद ने बयान किया कहा: हम से अबू हम्माम अल-दलाल ने बयान किया। कहा हम से ईब्राहीम बिन तहमान ने मंसूर के वासते से बयान किया वह मुजाहिद से वह इब्ने उमर से रिवायत करते हैं कि उन्हों ने कहा रसलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया मस्जिद खेफ में सत्तर नबियों की कब्रें हैं और इसे बज्जार ने अबू हम्माम से रिवायत किया है।

अल्लामा अल-बानी रहेमहुल्लाह ने इस संदेह का यह उत्तर दिया है कि वह हदीस जइफुल इसनाद है। इस लिए कि इस इसनाद में ईसा बिन शाजान हैं जिसके बारे में इब्न हिब्बान ने अस्सेकात में कहा है कि उसकी रिवायात में गराबत मानी जाती है। और इसकी इसनाद में इब्राहीम बिन तहमान है और वह सिकहा है इसकी रिवायत में भी गराबत पाई जाती हैं जैसा कि हाफिज इब्न हजर, अलबानी ने कहा: मुझे अंदेशा है कि हदीस में किसी रावी की तरफ से तहरीफ हो गई हो और इसने सलात (नमाज़) के बदले कब्र कह दिया हो। क्योंकि हदीस को यह

दुसरा लफज मशहूर है तबरानी ने अल-कबीर में सिकह रिजाल की सनद से बहवाला सईद बिन जुबैर इब्न अब्बास से रिवायत मरफूअन रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया मस्जिद अल खैफ में सत्तर नबियों ने नमाज़ पढ़ी है और अल मुनजिरी ने कहा: उसे तबरानी ने अल अवसत में रिवायत किया है और उसकी इसनाद हसन है और मेरे नज़दीक इसके हसन हदीस होने में कोई शक नहीं।

हासिल यह कि मस्जिद अलखैफ जो मिना में है उसमें सत्तर नबियों ने नमाज़ पढ़ी और उसमें सत्तर नबियों को दफनाया नहीं गया और इससे संदेह समाप्त हो जाएगा।

तीसरा संदेहः

उनमें से कुछ लोगों ने उस रिवायत की बुनयाद पर कब्रों पर मस्दिजों के निर्माण की अनुमति का इस्तिदलाल किया है जिसे दारे कुतनी ने इब्न अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है उन्होंने कहा जिबरईल अलेहिस्सलाम ने आदम अलेहिस्सलाम की नमाज़ जनाजा पढ़ाई तो चार तकबीर कही जिब्रईल ने उसी दिन फरिशतों को नमाज़ पढ़ाई आदम अलेहिस्सलाम को मस्जिद खैफ़ में क़िब्ला की ओर दफन किया गया उनकी लहद बनाई गई और उनकी कब्र को

कूहान नुमा बनाया गया।

इसका उत्तर पुस्तक के मुहक्किक ने दिया है:

''उसकी इसनाद बहुत ही जईफ है। मैंने कहा अब्दुर रहमान बिन मगूल अबू दाद ने कहा वह हदीस बनाता था और बुखारी ने कहा: उसकी हदीस कुछ भी नहीं है और अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम बिन हुरमुज जईफ है जैसा कि अल-तकरीब में है।

चौथा संदेह:

कुछ लोगों ने उस रिवायात की बुन्याद पर कब्रों पर मस्जिद के निर्माण का इस्तिदलाल किया है जिसे हाकिम ने अल-कुना (الكنى) में कब्रों पर निर्माण की गई मस्जिदों में नमाज़ की अुनमति देते हुए आइशा से मुरफुअन रिवायत की है इस्माइल की कब्र मकाम हिजर में है।

इस संदेह का उत्तर यह है कि इस हदीस को ज्ञानी लोगों जैसे सखवी ने ''अल-मकासेदुल हसना'' में और अल-अजलूनी ने कशफुल खेफा (كشف الخفاء)में जईफ करार दिया है और उन्हों ने कहा: इसे दैलमी ने आयशा से जईफ सनद के साथ मरफुअन रिवायत किया है और इसी प्रकार अल बानी ने तहजीरूस्साजिद (تحذير الساجد)में इसे जईफ करार दिया है।

और अलबानी रहेमहुल्लाह ने कहा: किसी मरफू हदीस से साबित नहीं कि इस्माईल या किसी भी अन्य अम्बिया-ए-कराम को मस्जिद हराम में दफन किया गया हो। हदीस की प्रमाणित किताबों जैसे सिहा-ए-सित्ता, मुसनद अहमद मआजिमें तबरानी इत्यादि मशहूर कुतुबे हदीस में से किसी में उसके संबंध में कोई हदीस नहीं आई है यह कुछ शोधकर्ताओ के नज़दीक किसी भी हदीस के जईफ बल्कि मनघड़त होने का एक बड़ा प्रमाण है इस बारे में जो भी आसार रिवायत की गई है जिन्हें अरजकी ने अखबार मक्का में रिवायत किया है वह सब मोकूफ और वाही सनदों से मरवी हैं पिछली हदीस को ज्ञानी लोगों की जमाअत ने जईफ करार दिया है विस्तार के लिए मोसाअतुल आहदीस वल आसार अल जईफा वल मोजुआ को देखें।(موضوعات الاحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة)

पाँचवा संदेह:

उनमें से कुछ लोग उस चीज़ से दलील पकड़ते हैं जो अबू जंदल रजी अल्लाहु अन्हु की इस रिवायत में वारिद हुई है जिसे इब्ने अब्दुल बर रहेमाहुल्लाह ने अल-इस्तीआब में मुसा बिन उकबा की रिवायत से बयान किया है कि जब अबू बुसैर रजी अल्लाहु अन्हु का निधन हो गया

तो अबू जंदल ने उन्हें दफनाया ओर उनकी कब्र पर एक मस्जिद का निर्माण किया।

इस संदेहो का उत्तर कई वजहों से :

पहलाः यह किस्सा जईफल इसनाद है किस्सा के रावी मूसा बिन उकबा को किसी सहाबी से समाअत प्राप्त नहीं है। न ही अबू बुसैर से और न ही उनके अलावा से क्योकि सिरे से किसी सहाबी को नहीं पाया है इसलिए किस्सा की सनद मजहूल है।

दूसराः यह रिवायत उन रिवायतों के मुखालिफ है जो इस से ज्यादा सही है। इमाम बुखारी ने अबू जंदल के किस्से को अबू बसीर के साथ अब्दुर्रज़्ज़ाक अब्दुर्रज़्ज़ाक के तरीफ से मामर से मौसूलन रिवायत किया है उन्हों ने कहाः बिन जुबैर ने मिस्वर बिन मख़रमा और मरवान के हवाले से मुझे इसकी ख़बर दी इस इज़ाफा के बिना यानी और उसने उसकी कब्र पर एक मस्जिद का निर्माण किया।

और इसी प्रकार इब्न इस्हाक ने अल-सीरत में जोहरी से मुरसलन रिवायत किया है और अहमद ने इसे मामर की तरह इब्ने इस्हाक के हवाले से जोहरी से उर्वा से रिवायत किया है और उसमें यह इज़ाफा नहीं है।

और इसी तरह से इब्न जरीर अलतारिख (التاريخ)में मामर और इब्न इस्हाक वग़ैरा से तरीक से जोहरी से रिवायत किया है इस इज़ाफा के बिना।

इससे मालूम होता है कि यह इज़ाफा मुनकर है इसकी सनद मनघढ़त है और सिक़ात ने इसे रिवायत नहीं किया है।

छटा संदेहः

कुछ लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अयशा रजी अल्लाह अन्हा के कमरे में दफन किये जाने से कब्रो पर निमार्ण की अनुमति दी है।

इसका जवाब दो तरह से है

पहलाः

मुज्मल जवाब है कि अल्लाह की शरियत में विरोधाभास नहीं है यह असंभव है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किसी कार्य से रोका हो फिर उनकी वफात के बाद उनके सहाबा इस पर सर्वसम्माति से सहमत हो कर करते है।

दूसराः

मुफस्सलु जवाब यह कि सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उनकी ताजीम करने के इरादे से आयशा के कमरे में नहीं

दफनाया बल्कि दो कारण से:

पहला: आपकी कब्र लोगों से दूर की गाई ताकि उनकी ताजीम में गुलू न हो और इसके दलालइल का ब्यान गुजर चुका है।

दूसरा: अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और अपने सभी नबियों की मृत्यू वहीं की जहाँ दफन किये जाते हैं और आपकी मृत्यू का स्थान आयशा रजी अल्लाहु अन्हा का कमरा है। और इसकी दलील आयशा रजी अल्लाह अन्हा की हदीस है उन्होंने कहा: जब रसूलुल्लाह की रूह कब्ज कर गई तो आप की तदफीन के बारे में सहाबा नें इख्तिलाफ किया तो अबू बकर रजी. ने कहा मैं ने आप (स.अ.व.) से ऐसी बात सूनी है जिसे मैंने भुला नहीं (3)आप ने फरमाया: अल्लाह ने हर नबी को वहीं मौत दी जहाँ दफन किया जाना पसन्द किया। आप को आप किए बिस्तर की जगह दफन कर दो।

अगर कहा जाए तो कया सभी लोगों को घरों में दफनाने की अनुमती देना जाईज है।

जवाब: इब्न कोदामा रहेमहुल्लाह ने कहा: अबू अब्दुल्लाह (ईमाम अहमद) घरों में दफन किये जाने से मुसलमानों के कब्रिस्तान में

दफन किये जाने को ज्यादा पसंद करते थे। क्योंकि यह उस के जीवित अश्रितों के लिए कम हानिकारक है। आखिरत के दरजात की तरक्की लिए ज्यादा दुआ मुनासिब है करना और उस पर अल्लाह से रहम दर्खास्त करना जरूरी है। और सहाबा, ताबेईन और उनके बाद वाले सहरा में दफन है। जो लोग कब्रों पर इमारतों का निर्माण करते हैं वे इसके कब्र वालें की ताजीम चाहते है न कि उसकी ताजीम से लोगों को दूर रखना चाहते है दोनों में का कारण मुखतलिफ है और इस तरह इस से संदेह खत्म हो जाता है।

सातवाँ संदेहः

कुछ ने कब्रों पर गुंबदों के निर्माण के जाईज होने की बात की है यह इस्तिदलाल करते हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कब्र पर अब भी गुंबद है?

इस संदेह का जवाब सन आनी रहेमाहुल्लाह (صنعانی)ने अपनी किताब (تطهير الاعتقاد عن أدران الشرك والالحاد)में इस प्रकार से दिया है।

''यह वास्तव में एक बड़ी अज्ञानता है क्योकि गुंबद का निर्माण न तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबी ने न ताबेईन ने न

तबेताबेईन ने, न ओलमाऐ उम्मत ने और न ही उलमा-ए-मिल्लत ने क्या है कि बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कब्र पर निर्मित गुंबंद को के एक दिवंगत राजा कलावुन अल-सालही जो मंसुर के नाम से मशहूर है 678 हिजरी में बनाया है उन्हों ने इसे का बयान (تحقيق النصرة بتخليص معالم دار الهجرة) में किया हैं यह सरकारी मामला हैं न कि धार्मिक।

मुकयइद (अल्लाह उन्हें माफकरे) ने कहा सुडान के एक प्रश्नकतों ने सऊदी अरब की फतवा कमेटी बराए इल्मी बुहूस व इफता से पूछा: ''मेरे सूडान में कुछ सूफी लोग हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कब्र पर निर्मित गुंबद की वजह से कब्रों पर गुंबदों के निर्माण का इसतेदलाल करते हैं इस संबंध में दीन का किया आदेश है तो फतवा कमेटी ने यह जवाब दिया। ''नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कब्र पर गुंबद का निर्माण उन लोगों के लिए प्रमाण नहीं है। जो इसके जरये वलियों और बुजुर्गों की कब्रों पर गुंबंदों के निर्माण करने का बहाना बनाते है। क्योंकि यह आपकी वसीअत से है न आप के सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम के अमल, न ताबेइन के अमल और न ही उन पहली सदियों के मार्गदर्शन के इमामों से किसी का अमल है।

जिसकी अच्छाई की गवाही नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दी है बल्कि वह अहले बिदअत के अमल है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सिद्ध है उन्होंने कहा जिसने हमारे इस दीन में कोई इजाद की जो उसमें से नहीं है वह मरदूद हैं'' और अली रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने अबू हय्याज से कहा क्या मैं तुम को इस काम के लिए न भेजूँ जिस पर मुझ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भेजा था वह यह कि तुम कोई तस्वीर न छोड़ो मगर उसे मिटा दो और न कोई ऊँची कब्र मगर उसको बराबर कर दो। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

चुनानचः जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से आप की कब्र पर गुंबद का निर्माण साबित नहीं है और न ही यह उलमा-ए-खैर से साबित है बल्कि आप से वह चीज साबित है जो इसे नापसंद करार देती है किसी भी मुसलमान को उस चीज से सम्बम्ध नहीं रखना है जिसे बिदअतियों ने इजाद किया हो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कब्र पर गुंबद का निर्माण ।

स्थाई कमेटी बरा-ए- इल्मी बुहूस व इफता

अध्यक्ष	उपाध्यक्ष
अब्दुल अजीज	अब्दुर्रज़्ज़ाक
सदस्य	सदस्य
अब्दुल्लाह बिन गदयान	अब्दुल्लाह बिन कुऊद

कब्रों पर भवन एवं गुंबंद आदि बनाने का हुक्म

कुछ मुसिलम देशों में यह देखने को मिलता है कि लोग कब्रों पर ईंट , संगमरमर और सीमेंट आदि से पुख्ता भवन बनाते है। कब्र को चूना करते। भवन कब्र के बाहर से होती है अथवा कब्र के उपर गुबंद या कमरा बना होता हैं शरीअत में ऐसा करना हराम है।

निम्नांकित कारणों सेः

प्रथमः मुर्दे को दफनाने के सम्बन्ध में यह नबी (अ.अ.व.) की सुन्त एवं तरीके के विरूध है।

द्वीतीयः कब्र पर भवन निर्माण मुर्दे के सम्मान और उसके हक में गुलू कारण बन सकता है। क्योंकि जब कोई कब्र पर भव्य भवन देखता है तो उसके मन को प्रभावित करता हैं फिर उसका दिल उस कब्र में लेटे मुर्दे से लग जाता है और वह उससे अपनी जरूरते संबंधित कर लेता है जैसा कि कुछ मुस्लिम देशो में होता है।

तृतीयः कब्र पर भवन बनाने के जमीन दूसरे मुर्दों के लिए कम हो जायगी और बाद में मरने

वालो को दफन करने में परेशानी होगी।

चतुर्थः यदि लोगों प्रत्येक कब्र मुर्दों के भवन से भर जायगा।

पंचुमः कब्रों को पुख्ता करने और उसे सुन्दर एवं भवय बनाना दुनिया से संबंधित है जबिक मुर्दा आखिरत की मंजिल में होता है।

कब्रों पर भवन निर्माण निषेद होने की दलीले।

नबी (स.अ.व.) सहाबा और ताबेईन से ढ़ेर सारी हदीसें एवं आसार मरवी हैं जिन से मालूम होता है कि कब्रों पर भवन निर्माण हराम है।

जाबिर रजी. से रिवायत है कि रसूल (स.अ.व.) ने कब्र को पुख्ता करने, चुना करने उस पर बैठने और उस पर भवन निर्माण से मना फरमाया है (मुस्लिम:970)

उम्मे सलमा रजी. कहती हैं कि रसूल (स.अ.व.) ने कब्र को चूना करने और उस पर भवन निर्माण से मना फरमाया है

(رواه احمد ٦/٢٩٩، وقال محقق المسند صحيح لغيره ٤٤/١٧٩)

अबू सईद खुदरी रजी. से रिवायत है कि रसूल (स.अ.व.) ने कब्र पर इमारत बनाने, उस पर बैठने ओर उसकी ओर नमाज़ से मना फरमाया।

(رواه ابوالعلى فى مسند (١٠٢٠) و صحيح الالبانى اسناده فى تحذير الساجد ص:٢٢)

नोमान बिन अबी शैबा कहते हैं कि मेरे

एक चाचा ''जनद'' में मर गये मैं अपने पिता के साथ इब्ने ताऊस के पास गया। मेरे पिता ने पूछा ऐ अबू अब्दुर्रहमान क्या मैं अपने भाई की कब्र को पुख्ता करूँ? तो वह हंस पड़े और कहा: ऐ अबू शैबा! बेहतर है कि तुम अपने भाई की कब्र न पहचानो मगर ये कि तुम उसके लिए दुआ-ए-मग्फिरत करो। क्या तुम्हे नहीं मालूम कि नबी (स.अ.व.) ने कब्र पर इमारत बनाने, उसे पुख्ता करने और उस पर कुछ बोने से मना फरमाया है। इसलिए सबसे उत्तम कब्र वह है जिसको ने पहचान सको। (मुसन्नफ अब्दुर रज्ज़ाक: 6495)

जब अबू मूसा की मृत्यू का समय आया तो उन्हों ने फरमाया: जब तुम लोग मेरी लाश लेकर चलना तो तेज़ चलना मेरी लाश के पीछे बर्तन में आग नहीं ले जाना मेरी कब्र में कुछ ऐसा नही रखना जो मेरे और मिट्टी के बीच रूकावट बने। मेरी कब्र पे भवन न बनाना। मैं तुम को गवाह बनाता हूँ कि मैं अपनी मौत पर सिर मुंडाने वाली, कपड़ा फाड़ने वाली और चिल्लाने वालियों से बरी हूँ। लोगों ने पूछा क्या इस सम्बन्ध में आप ने नबी (स.अ.व.) से कुछ सुना है? फरमाया हाँ मैं ने रसूल (स.अ.व.) से सुना है।

(رواه احمد ٣٩٧/٤، و قال الالبانی فی "تحذیر الساجدص:٩٢، اسناده قوی)

अबू सईद खुदरी रजी. से रिवायत है कि नबी. (स.अ.व.) ने कब्र पर इमारत बनाने मना फरमाया।

(رواه ابن ماجه ١٠٦٤ وصححه الالبانى)

इमाम मालिक कहते हैं: मदीना में लगभग दस हज़ार सहाबी ने इन्तिकाल फरमाया। बाकी सहाबा दुनिया भर में फैल गये। लेकिन मदीना में मरने वाले सहाबियों में से अधिकांश की कब्र अज्ञात है।

कब्र पर बने मसाजिद के विरोध मुसलमानों की जिम्मेदारी

पिछली बातों से यह साफ होगया कि कब्रों को सज्दागाह बनाना हराम और बूरी बात है। और जो मुन्करात में से हो तो हसबे कुदरत मिटाना मुसलमानों पर वाजिब है चाहे हाकिम हो या महकूम जैसा कि नबी. स. का फरमान है ''तुम में से जो शख्स कोई बूरी बात या काम देखे उसे चाहिए कि उसे हाथ से रोके अगर नहीं रोक सके तो जुबान से रोके अगर यह भी न हो सके तो दिल से बुरा माने और यह सबसे कमतर दर्जे का ईमान है'' (मुस्लिम:49)

अगर मस्जिद कब्र के पहले से हो तो कबर खोद कर मय्यत को निकालना और कब्रिस्तान में दफन करना जरूरी है इस तरह से मस्जिद महफूज हो सकती है।

अगर कब्र मस्जिद से पहले से हो फिर उस पर मस्जिद बनाई गई हो मस्जिद को तोड़ना वाजिब है क्योंकि तकवे की बुन्याद पर तामीर नहीं कि गई है और न ही अल्लाह की ताजीम मकसूद है बल्के उस से मय्यत की ताजीम

मकसूद है तो उसका तोड़ना जरूरी हैं इस लिए कि हर वह मकान जो गैरूल्लाह के लिये बनाया गया हो उस का तोड़ना जाईज है। यही वजह है कि नबी (स.अ.व.) ने मुनाफिको की बनाई हुई मस्जिद जेरार को तोड़ा क्यों कि वह तकवे की बुन्याद पर नहीं बनाई थी।

अल्लाह तआला ने कब्र के वास्ते मस्जिद बनाना मशरू नहीं किया है।और न ही मस्जिद के वास्ते कब्र बनाना मशरू ही किया हैं हर चीज को इस की शरअई इल्लत की तरफ लोटाना वाजिब है।

कब्र को सजदगाह बनाने या कब्र पर मस्जिद तामीर करने से बहुत सारी खराबीयाँ पैदा होती है। जिन में कुछ निम्नांकित है।

(1) कब्र पर बनी हुई मस्जिद में नमाज़ पढने वाले के लिए शैतान मय्यत से दुआ करने और उससे मदद तलब करने और उसके लिए नमाज़ पढ़ने को सुन्दर बना करके पेश करता है यही तो सबसे बड़ा शिर्क है।

(2) ऐसी मस्जिदें जहाँ मुर्दे दफन होते है। इबादत की फ़जीलत के एअतेकाद को संवार के पेश करता है। हालाँ कि यह एअतेकाद (विश्वास) सही नहीं है। इसलिए के अज्र व सवाब के एतेबार से सारी मस्जिदें बराबर है सेवाए मस्जिदे हराम, मस्जिदे नबवी और मस्जिदे हराम के, तो जो कोई इन जगहों के अलावा में नमाज़ पढ़ने के ज्यादह अज्र का दावा करता है तो वह झूठा है। और अल्लाह और उसके रसूल पर लांछन लगाता है।

(3)कब्रों को मस्जिद बनाने में उस हिक्मत की

तब्दलीली है जिस वजह से मस्जिद की तामीर की मशरू की गई है। मसलनः नमाज़ पढ़ने व इबादत करने को उसमें मुर्दे की दफन करने की तरफ बदल दिया गया है

(4) कब्रों को सजदागाह बनाने की वहज मुर्दे की ताजीम है न कि अल्लाह की ताज़ीम, इसमें भी वही तहरीफ हैं अल्लाह की ताजीम को मुर्दे की ताजीम की तरफ फेरना।

(5) कब्रों को मस्जिद बनाने से वहाँ पर नमाज़ पढ़ना बातिल होने का सबब हैं इस तरह इन्सान का अमल बेकार हो जाता है।

(6) कब्रो को मस्जिद बनाने में यहूदी व ईसाई से एकरूपता होती है। और यह बजाते खुद हराम है। उनकी मुखालफत करना व मुताबअत न करना वाजिब है। इन्हीं खराबीयों की वजह से शरियत ने कब्रों को सजदगाह बनाने को हराम करार दिया है। कबरिस्तान और मस्जिद को अलग अलग बनाना वाजिब हैं इसएि के अल्लाह ने मुर्दा दफन करने के लिए मस्जिद बनाना मशरू नहीं किया है। और न नमाज़ पढने के लिए कबरिस्तान को मशरू किया है। बल्कि अल्लाह ने दफन करने के लिए कब्रिस्तान मशरू किया है।

कब्र की मिट्टी के बुलंद करना

कब्र की सतह को बुलंद करना ज्यादह मिट्टी डाल कर मम्नु है। सेवाए एक बालिशत के, ताकि समझ में आए के वह कब्र हैं ताकि कब्र की तौहीन न हो उस पर बैठ कर या चल कर। ममानियत की वजह यह है कि कब्र की सतह को बलंद करने में साहिब कब्र की ताजीम होती है। कबर की जमीन को बराबर रखना सेवाए एक बालिश के वाजिब है। कब्र की मिट्टी को बलंद करने की ममानियत के सिलसिले में कुछ अहादीस व आसार आए हैं उन में से एक यह की जब अमीरूल मोमेनीन हज़रत अली रजी. खलीफा हुए तो कब्र पर बनी हुई इमारत को तोड़ने के लिए अबुल हय्याज असदी पुलिस कमांडर को भेजा। अबुल हय्याज असदी से रवायत है। कहते हैं कि उन से हज़रत अली ने कहा कि ''क्या मैं तुम्हे उस काम के लिए न भेजूं जिस पर अल्लाह के रसूल स. ने मुझे भेजा था कि तुम किसी बुत को न छोड़ों मगर उसे ध्वस्त कर दो और न बलंद कब्र को, मगर उसे बराबर कर दो।'' मुस्लिम (969)

गौर किजिए कि नबी ने बुत को ध्वस्त करने और बलंद कब्र को बराबर करने को एक करार दिया है क्यों कि दोनों के जरिय गैरूल्लाह की इबादत मकसूद होती है। ولاحول والا قوة الا بالله العلى العظيم

और जाबिर रजी. से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि नबी सल्लाहों अलैहवल्लम ने कब्र पर तामीर किए जाने या उस पर इज़ाफा किए जाने अथवा पुखता किए जाने से मना किया सलैमान। बिन मुसा ने इज़ाफा किया है या उस पर लिखे जाने से (अबु दाऊद 3226 व नसाई 2026 यह शब्द उसी का है। और अलबानी ने उसे सही करार दिया है।)

और सोमामा से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया के हम लोग रूम में ''रौदस'' (रौदस बहरे शाम के बीच में इसकन्दरया की जानिब एक जजीरह है जिसे मुसलमानों 53 हिजरी में फतह किया मोजमुल बुलदान देखीए।) में फुज़ाला बिन ओबैद के साथ ये हमारे किसी साथी का इन्तकाल हो गया फुज़ाला बिन ओबैद ने उस की कब्र को बराबर करने का हुकम दिया। फिर कहा मैंने अल्लाह के रसूल को कब्र बराबर करने का हुकम देते हुए सुना है। (मुस्लिम:968)

अब्दुल्लाह बिन शरहबील बिन हसना से मरवी है कि हजरत उस्मान निकले और कब्र को बराबर करने का हुकम दिया तो कब्र बराबर कर दी गई। सेवाए उस्मान की बेटी उम्मे अमर की कब्र की। तो कहा यह कैसी कब्र है? तो लोगों ने कहा उम्म अमर की कब्र है तो उसके बारे में भी हुक्म दिया वह भी बराबर कर दी गई। (इब्ने अबी शैबा ''अल-मुसन्नफ'' (11795) व अलबानी फी ''तहजीरू साजिद'':88)

और इब्ने अबी शैबा इब्ने अब्बास के गुलाम से रिवायत करते है कहा के मुझ से इब्ने अब्बास ने कि जब लोगों को देखो मय्यत को दफन करते हुए और वह चीज पैदा करते हुए जो मुसलमानों की कब्र में नहीं होती है। तो उसे भी मुसलमानों की कब्र की तरह बराबर कर दो। (अल-मुनसन्नफ:11796) और मोआवीया रजी. कहते है: बेशक कब्र को बराबर रखना सुन्नत है। यहूद व नसारा ने कब्रों को बलंद किया लेहाजा तुम लोग उस की एकरूपता न अपनाओ। (अत्तबरानी फी अल-कबीर (352/19)

और शाफई रहेमहुल्लाह ने फरमाया पसंद करता हूँ की कब्र पर उसकी मिट्टी से ज्यादह न डाला जाए। हाँ जमीन से एक बालिश्त बलंद की जा सकती हैं(''अलऊम'' केताबुल जनाइज़-बाबो

मा यकूनो बाद दफन)।

(الأم كتاب الجنائز باب مايكون بعد الدفن)

जैसा के गुजरा कब्र पर कोहान नुमा बनाना कब्र को बलंद करने की ममानियत से अलग है एक बालिश्त के बराबर कुहान नुमा बलंद करना है ताकि कब्र पहचानी जा सके। और उस पर न बैठा जाए और न ही चला जाए और न दुसरी बार खोदी जाए।

कुरतुबी फरमाते हैं: कब्र में कुहान नुमा बनाना एक बालिश्त बलंद करना ऊँट के कुहान से माखूज है। (''अल-जामै ले अहकामिल कुरआन'' लिल्कुरतूबी तफसीर सूरतुल कहफ आयत न. 21)

और कुहान नुमा कब्र पर बनाने के सिलसेले में सलफे सालेहीन से कुछ आसार मरवी है। बुखारी रह. सुफयान तम्मार से रिवायत करते है। उन्होंने ने फरमाया कि मैं उस घर में दाखिल हुआ जिसमें नबी की कब्र है तो मैंने नबी की कब्र, अबु बकर और उमर की कब्रों को कुहान नुमा देखा। (सहीहुल बोखारी (1390)

और इब्ने अबी शैबा शोअबी से रिवायत करते हैं कि मैं ने उहुद के शीहदों की कब्रें एक ही जगह कुहान नुमा देखी है। (''मोसन्नफ इब्ने अबी शैबा (11735)

इब्ने अबी शैबा अबु मैमुना से रिवायत करते हैं कि इमरान बिन हुसैन ने वसीयत थी की कि लोग उन्की कब्र को उचां बनाएं और बलंद करें चार उंगली या वैसा ही। (''मोसन्नफ इब्ने अबी शैबा (11746)

और शाफई र. फरमाते हैं कि ''मैं नापसंद करता हूँ की कब्र को बलंद किया जाए उससे ज्यादह जतना बलंद करना मारूफ हैं ताकि कब्र को रौंदा न जाए और न उस पर बैठा जाए।'' (सोनने तिरमीजी (367/3)

इब्ने कोदामा र. कहते हैं कि थोड़ा बलंद करना ही मुस्तहब है अली र. से नबी के फरमान की वजह से कि किसी भी बुत को बिना ध्वस्त किए न छोड़ों और बलंद कब्र को बरारब किए बिना मत छोड़ो। (मुस्लिम)

फिर कहा: कब्र को कुहान नुमा बनाना अफजल है बराबर रखने से। इसी के कायल है इमाम मालिक, एमाम अबु हनीफा और एमाम सौरी,(अल-मुगनी केताबुल जनाइज् (435-437/3)

तो अगर कहा जाए कि कब्र के अन्दर क्या मशरू है? तो जवाब है कच्ची ईंट की तखतियों से मुर्दे को ढॉपना फिर उस पर मिट्टी डालना फिर थोड़ा ऊँचा करना ताकि पहचान में आए

कि वह कब्र है। (तफसील के लिए देखीए केताबुल जनाईज़ शेख अलबानी)

रही बात मिट्टी से लीपने की तो मिट्टी से ढकना या दफन के बाद उस पर पानी छिड़कना तो यह कब्र की बलंद करने में दाखिल नहीं है।

इब्ने अबी शैबा ने हसन बसरी की सन्द से रिवायत है कि वह कब्र पर पानी छिड़कने में कोई हर्ज नहीं है। (अल-मोसन्नफ:12055))

और उन्हीं की सन्द से अबू जाफर से रिवायत करते हैं कि कब्र पर पानी छिड़कने में कोई हर्ज नहीं हैं (अल-मुसन्नफ (12056)

तिरमिजी र. फरमाते हैं कुछ अहले इल्म ने कब्र को लीपने की अनुमति दी है। जिसमें से हसन बसरी है। और शाफई र. कहते हैं कि कब्र को लीपने में कोई हर्ज नहीं है

कब्र पर चिरागाँ करने का हुक्मः

कब्रों की ताजीम के सूरतों में से एक चरागाँ करना है। और जो लोग कब्र पर चरागाँ करते हैं उस से मुर्दे की ताजीम मकसूद होती है। ताकि उन की कब्र पर अंधेरा न हो और यह गुनाह है। नबी और उनके सहाबा इन्तिकाल कर चुके हैं उन्में से किसी ने वसीयत नहीं की कि उन की कब्र पर रौशनी की जाए हालाँकी वह लोग इस के ज्यादह हकदार होते हैं। निःसंदेह कब्र पर चिराग जलाने में बिना फायदाह माल खर्च करना है और नबी ने माल बरबाद करने से रोका है। इब्ने कोदामा रह. फरमाते हैंः कब्र पर चिराग जलाना जाईज नहीं क्यों की उसमें कोई फायदा नहीं है। माल की बरबादी है। कब्र की ताजीम में ज्यादती बुतों की ताजीम के ज्यादा समान है (अल-मुगनी (440-441/1)

इब्ने हजर हैसमी ने कब्र पर चरागाँ को बड़े गुनाहों में शुमार किया है। अपनी किताब (الزواجر عن اقتراف الكبائر)के में कहा है किः

''121वाँ 122वाँ 123वाँ कबीरह गुनाह हैः कब्र पर मस्जिद बनाना, कब्र पर चरागाँ

करना और महिलाओं का वहाँ जाना और महिलाओं का जनाज़े के पीछे चलना।''

फायदहः

पहले तन्बीह गुजर चुकी है कि अल्लाह के रसूल (स.अ.व.) ने कब्र की जियारत करने वाली औरतों और उस पर मस्जिद बनाने वाले, और चरागाँ करने वाले पर लानत भेजी है। (रवाहो अबु दाऊद (3236) व तिर्मीजी (320) व नसाई (2042) व अहमद (229/1) अन इब्ने अब्बास र.) हदीस सही लिगैरिही है जैसा कि अल्लामा अल्बानी ने ''सिलसिलतुल अहादीस ज़ईफा'' में साबित किया है नंबर 525-225 पर। शब्द ''अल-सुरूज'' के बारे में बयान किया है कि यह इजाफा ज़ईफ है। और जिन लोगो ने ''सुरूज'' के एजाफे को ज़ईफ कहा है उन में शेख मुकबिल बिन हादी भी हैं।

हदीस (لعن المتخذين السرج على القبور)जईफ है। इस लिए के उस की सन्द में अबु सालेह उम्मेहानी का गुलाम है। उसका नाम बाजाम या बाजान हैं और वह जईफ है।

लेकिन कब्र पर चराग जलाना बिदअत है। इस लिए के रसूल (स.अ.व.) के युग में ऐसा नहीं था।

अगर कहा जाए कि क्या हुक्म है जब रात

में दफन के लिए रास्ता देखने के लिए तदफीन की जगह देखने के लिए चराग या रौशनी का इन्तेजाम करना कैसा है?

तो जवाब होगा- ऐसी हालत में कोई हरज नहीं है। इस तौर पर कि मय्यत की तदफीन करने वाले अपने साथ चाराग ले जाएं। फिर अपने साथ वापस लायें। देखीए ''अल-कौलुल मुफीद अला किताब अल-तौहीद'' (429/1, शैख मोहम्मद बिन ओसैमीन प्रकाशक दारे इब्ने जौजी दमाम)

कब्रों के सम्मान से सम्बन्धित कुछ और बातें

मसलन कब्र के उपर पर्दा लटकाना और उसके फर्श को संगमरमर और कालीन से सजाना और कब्र को खास कपड़े पहनाना और उस पर खुशबू छिड़कना और खादिम और खास पहरेदार बैठाना या ऐसी खिड़की बनाना जिससे लोग कब्र को देखें यह सारी चीजें अल्लाह तआल के दीन में इजाद करदह बिदअत है जिस पर न अल्लाह की किताब में और न ही सुन्नते नबवी में इस पर उभारा गया है। शेख अली बिन मोहम्मद सईद सौअैदी शाफई रहेमहुल्ला अपनी किताब (العقد الثمين فى بيان مسائل الدين) में उन लोगों की अलोचना करते हुए कहा है जो कब्र पे खुराफात अंजाम देते हैं: आप उन लोगों को देखते है कि कब्र को ऊँची करते हैं, और उस पर कुर्आनी आयात लिखते हैं और उसके लिए चंदन और खुशबुदार लकड़ी का ताबूत बनाते हैं और उस पर खालिस सोने और चाँदी से मुनक्कश रेशम के पर्दो को डालते हैं और इतना ही पर राजी नहीं होते यहाँ तककि उसके चारों तरफ रौशनदान

वगैरह बनाते है। और उस पर सोने के चिरागें लटकाते हैं और उस पर सोने या मुनक्कश शीशे के गुंबद बनाते हैं और उनके दरवाजे को सजाते हैं और उसके लिए चाँदी वगैरह के ताले लगाते है। यह सारी चीजे दीने रसूल के मुखालिफ हैं और अल्लाह और उसके रसूल से अैन लड़ाई है अगर वह वाकई नबी के पैरूकार है, तो नबी को देखें कि वह अपने सहाबा के साथ क्या करते थे। और आप की कब्र को देखें के सहाबा ने क्या किया।

शेख हुसैन बिन मोहम्मद अल-मगरिबी रहे. अपनी किताब (البدر التمام شرح بلوغ المرام) में कहते हैं कि इन तमाम स्थितियों में लानत और बुत परस्ती से तश्बीह रसूल (स.अ.व.) के इस फरमान से जाहिर है ''कि तुम लोग मेरी कब्र को बुत मत बनाओ कि अल्लाह को छोड़ कर इबादत किया जाए'' यह चीज कब्र पर इमारत बनाने, उससे सुन्दर बनाने, पुख्तह बनाने, मुनक्कश संदुक रखने, कब्र पर चादर चढ़ाने और कब्र की दीवार को चुमने को हराम होने को दर्शाती है और यह सारी चीजे नबवी युग से दूर होने एवं अज्ञानता के कारण उत्पन्न हुई हैं। (अल बदरूत तमाम: 232-233/4)

कब्रो का अपमान

इस्लाम एक मुतदिल (मध्श्य) मज़हब है तो जिस प्रकार उसने कब्र की ताज़ीम से मना किया है वैसे ही कब्र के अपमान से भी रोका है और अल्लाह ने सच फरमाया है ''इस प्रकार हमने तुम को मध्य उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह बनों और नबी तुम पर गवाह बने।''(सूरतुल बकरह:143)

कब्र के तौहीन की पाँच सूरतें है।

(१) कब्र पर बैठना या उसपर चलना

इस की ममानियत की दलील मुर्सद ग़नवी की हदीस है। आप (स.अ.व.) ने फरमाया: ''कब्र पर मत बैठो और उस की ओर मुंह करके नमाज़ मत पढ़ो'' (मूस्लिम:972) व अबू दाऊद:3229) व तिरमीज़ी:1050) व रवाहुन्-नसाई:759)

और आपका फरमान ''तुम से कोई व्यक्ति अंगारे पर बैठे जो उसके कपड़े को जला डाले फिर वह अंगारा उसके चमड़े तक पहूच जाए इस से बेहतर हैं वह कब्र पर बैठे और एक रिवायत में वह कब्र पर चले। (मुस्लिम: 971)

और एक रिवायत में है कि कब्र को रौंदे। (अहमद (528/2)

और जाबिर र. फरमाते हैं: अल्लाह के रसूल ने कब्र को पुख्ता बनाने उसपर बैठने और उस पर इमारत बनाने से रोका है। (इस की तखरीज़ गुजर चुकी है।)

(२) कब्रों के बीच जूते पहन कर चलना

इसे की ममानीयत की दलील बशीर की हदीस है कि रसूल (स.अ.व.) ने एक आदमी को कब्रों के बीच जूते में चलते देखा तो कहा: ऐ जूते वाले! जूते निकाल दे। (अबु दाऊद: 3230) व नसाई:2048 व इब्ने माजह:1568) व अहमद:83/5) अन बशीर बिन अल-खसासीयह व हस्सनहु अलबानी फी सहीह अबीदाऊद)

रही बात कब्रिस्तान में कब्रों से दूर ऐसी जगह पर चलने की जहाँ पास में कब्र न देखी जाए या फिर ऐसे रासते से जो कब्रिस्तान में चलेन के लिए बनाया गया हो तो उसमें कोई हरज नहीं। कब्रों के बीच चलना हराम है।

(३) कब्रिस्तान में शौच करना:

इस की ममानीयत की दलील उकबा बिन आमिर की हदीस है। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (स.अ.व.) ने फरमाया कि मैं अंगारे पर चलूँ या तलवार पर या अपने जूते सिलूँ यह

बेहतर है इस से कि मैं किसी मुसलमान की कब्र पर चलूँ। (इब्ने माजह:1577) व इब्ने अबी शैबा फी अल:मुसन्नफ:11773) व सहहहु शेख नासिर फी इरवावुल गलील:63)

और इब्ने अबी शैबा मुजाहिद से रिवायत करते हैं कि कब्रिस्तान में पाखाना पेशाब न करें। (मोसन्नफ इब्ने अबी शैबा:11779)

इब्ने तैमिया रह. फरमाते हैं नि:संदेह मुसलमानों की कब्र की हुरमत सुन्नत से साबित है। इसलिए कि वह मुस्लिम मुर्दे का घर है। उलेमा का एकमत है कि वहाँ गंदगी नहीं छोड़ी जाऐगी और न उस पर चला जाएगा और न उस पर टेक लगाया जाएगा। और नही उसके आस पास कोई ऐसा कार्य किया जाएगा जिस से मुर्दे को पीड़ा पहुँचती हो। इस लिए कि लोगों कि बूरी आदतों और बुरी बातों से मुर्दे को तकलीफ होती है। मुस्तहब है कि वहाँ साहिबे कब्र को सलाम किया जाए और उस के लिए दुआ किया जाए। मुर्दा जितना नेक होगा उसका हक उतनाही ज़्यादा होगा। (एकतिजा उस सिरातुल मुसतकीम:665/2)

(४) कब्र खोदना:

इसके हराम होने की दलील वह रिवायत है जिसको मालिक ने उमरह बिन्ते अब्दुर रहमान से

नकल किया है। रसूल (स.अ.व.) ने कब्र खोदने वाले और कब्र खोदने वालियों पर लानत भेजी है। (रवाहो मालिक फी किताबिल जनाईज़/ बैहकी कूबरा:270/8)

(4) दुसरी बात यह है कि कब्र के खोदने में मुर्दे की हड्डी के टूटने की आशंका है और मुस्लिम मुर्दे के हड्डी को तोड़ना हराम है नबी (स.अ.व.) के फरमान की वजह से कि: ''यकीनन मोमिन मुर्दे की हड्डी को तोड़ना वैसही है जैसे जीवन में उसकी हड्डी को तोड़ना।''(अहमद: 58/6 व अबु दाऊद: 3207, आईशा रजी. से। और अलबानी ने सही अबुदाऊद में इस से सही करार दिया है)

रही बात मुर्दे के पुराने हो जाने और मिट्टी बन जाने की। जैसा कि पुराने कब्रिस्तान में होता है तो उस कब्र को खोदना जाईज़ (ठीक) है और उसमें दूसरे मुर्दा को दफन करना जाईज़ है उसकी हड्डी को एक कोने में करन के बाद। लेकिन यह भी उस स्थिति है कि जब जगह न हो।

(५) मुर्दे की गाली देना बुरा भला कहना

मुर्दे को बुरा भला कहने की ममानीयत के संबंध में कुछ अहादीस व आसार मरवी हैं। जिनमें से आईशा र. की हदीस है। कहती हैं कि

आपने (स.अ.व.) फरमाया मुर्दे को बुरा भला मत कहो। क्यों वह अपने अमाल के पास बहुँच चुके हैं। (बुखारी:1393)

इब्ने अबी शैबा आईशा से नकल करते हैं कि उन्हों ने कहा अपने मुर्दे का ज़िक्र अच्छाई के साथ किया करो। (अलमोसन्नफ:11989)

और अब्दुलाह बिन अमर से रिवायत करते हैं कि उन्हों ने कहा मुर्दे को बरा भला कहने वाला मानो बरबादी की तरफ जाने वाला है। (मुसन्नफ :11988)

कब्रों पर भवन एवं गुंबंद आदि बनाने के हुक्म

कुछ मुसिलम देशों में यह देखने को मिलता है कि लोग कब्रों पर ईंट , संगमरमर और सीमेंट आदि से पुख्ता भवन बनाते है। कब्र को चूना करते। भवन कब्र के बाहर से होती है अथवा कब्र के उपर गुबंद या कमरा बनान होता हैं शरीअत में ऐसा करना हराम है।

निम्नाकित कारणों से

प्रथमः मुर्दे को दफनाने के सम्बन्द में यह नहीं (अ.अ.व.) की सुन्त और तरीके के विरूध है।

द्वीतीयः कब्र पर भवन निर्माण मुर्दे के सम्मान और उसके हक में गुलू का कारण बन सकता है। क्योंकि जब कोई कब्र पर भव्य भवन देखता है तो उसके मन को प्रभावित करता हैं फिर उसका दिल उस कब्र में लेटे मुर्दे से लग जाता है और वह उससे अपनी जरूरते संबंधित कर लेता है जैसा कि कुछ मुस्लिम देशो में ऐसा होता है।

तृतीयः कब्र पर भवन बनाने के जमीन दूसरे मुर्दो

के लिए कम हो जायगी और बाद में मरने वालो को दफन करने में परेशानी होगी।

चतुर्थः शहर मुर्दों के भवन से भर जायगा।

पंचुमः कब्रों को पुख्ता करने और उसे सुन्दर एवं भवय बनाना दुनिया से संबंधित है जबिक मुर्दा आखिरत की मंजिल में होता है।

अंत से पहले कुछ बातें

अल्लाह आप पर रहम करे। जान लें कि वह जगहे जहाँ नमाज पढ़ने के लिए मना किया गया है वे केवल कब्रिस्तान अथवा कब्र वाली मसाजिद के साथ खास नहीं हैं। बल्कि और भी कई स्थान हैं लेकिन सबसे ज़्यादा हराम इन दो जगहों पर नमाज़ पढ़ना है। जिन जगहों पर नमाज़ पढ़ना मना है उन की सूची लंबी है यहाँ संक्षिप्त में कुछ जगहों का वर्नण किया जाता है।

(1) ऐसी धर्ती जहाँ अल्लाह की ओर से अज़ाब उतरा हो। अथवा जहाँ जमीन धँसाई गई हो वहाँ नमाज़ पढ़ना हराम है। उसकी दलील यह है कि अली र. ''बाबुल'' के धँसी हुई जमीन से गुजरे तो वहाँ नमाज़ नहीं पढ़ी।
अपवित्र जगहों पर नमाज पढ़ना हराम है जैसे शौचालय इस की ममानीयत में अबु सईद खुदरी की हदीस वारिद हुई जिस का ज़िक्र किताब में पहले गुज़र चुका है।

(3) ग्रिजा घरों में जहाँ बुत होते हैं नमाज़ पढ़न मना।
उमर र. ने कहा है कि ''हम तुम्हारे ग्रिजा

घरों में तसवीर होने कि वजह से दाखिल नहीं हो सकते।''

ग्रिजाघरों में नमाज़ पढ़ना इब्ने अब्बास र. मकरूह समझते हैं।

(4) ऊँट के बाड़ा में नमाज़ पढ़ना

मुमानियत की दलील नबी का फरमान। जब किसी आदमी ने पूछा के क्या मैं ऊँट के बैठने की जगह नमाज़ पढ़ सकता हूँ? आपने कहा नहीं।

(5) एसी जगहों पर जहाँ कुफ्फार के पुजा पाठ से मुशाबहत होती हो जैसे बुतों के सामने नमाज़ पढ़ना, चर्च में और आग के सामने आदि। मालूम हुना चाहिए कि इबादात में कुफ्फार की मुशाबहत बहुत ही बुरी तशबीह है।

अंतिम बात

अंत में कहना यह है कि कब्र के पास नमाज़ पढ़ना और कब्र पर मस्जिद बनाना हराम है। इसकी हुरमत कुरआन व हदीस से साबित है। इसी तरह कब्र पर ताबूत बनाना, कमरे बनाना हराम है। इसलिए कि यह मुर्दे के संबंध में गुलू (अतिसम्मान) और ताज़ीम का जरीया हैं इसी तरह वहाँ इबादत करना, नमाज़ पढ़ना मना है।

ज़रूरी है कि मस्जिद अलग हो और कब्र अलग हो। मस्जिदे कब्र के लिए नहीं बनाई जाती और न कब्र मस्जिद हो सकती है

والله اعلم

الحمد لله اولا واخرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلمه تسليماً كثيرا

संदर्भ

١۔ مسند ابی دائود الطیالسی ، تحقیق ،د. محمد بن عبدالمحسن الترکی، الناشر: دار ھجر–مصر
٢۔الکتاب المصنف فی الأحادیث و الآثار، عبداللہ بن ابی شیبہ،تحقیق محمد عبدالسلام شاھین، الناشر: مکتبة دار الباز–مکة۔
٣۔ مصنف عبدالرزاق،تحقیق حبیب الرحمن الأعظمی،الناشر: المکتب الاسلامی–بیروت
٤۔ فتح الباری،ا بن رجب الحنبلی،الناشر: مکتبہ الغرباء الأثریہ–المدینة المنورة۔
٥۔ الأوسط فی السنن والاجماع والاختلاف ،محمد بن ابراھیم بن المنذر النیسابوری،تحقیق جماعة من المحققین، الناشر: دار الفلاح–مصر
٦۔ فضل الصلاة علی النبی ﷺ ،اسماعیل بن اسحاق القاضی، تحقیق محمد ناصر الدین الالبانی، الناشر: المکتب الاسلامی–بیروت۔
٧ الابانة الصغری، ابن بطة العکبری،تحقیق د. رضا بن نعسان معطی، الناشر: مکتبة العلوم والحکم، المدینة۔
٨۔ الأمر بالاتباع والنھی عن الابتداع،جلال الدین السیوطی، تحقیق مشھور حسن سلمان، الناشر: دار

ابن القيم–الدمام
٩- اقتضاء الصراط المستقيم، ابن تيمية ،تحقيق د. ناصر العقل، ط ه ،الناشر: مكتبة الرشد –الرياض
١٠- الاستغاثةفى الرد على البكرى، ابن تيمية،تحقيق عبدالله السهلى، ط ١، الناشر: مدار الوطن–مصر.
١١- اعلام الموقعين عن رب العالمين،ابن قيم الجوزية،تحقيق، محمد المعتصم بالله البغدادى، الناشر: دار الكتاب العربى–لبنان.
١٢- اغاثة اللهفان فى مصايد الشيطان، ابن قيم الجوزية،تحقيق محمد عزيز شمس، الناشر: دار عالم الفوائد–مكة.
١٣- الشرك ووسائله عند أئمة الشافعية،د. محمد بن عبدالرحمن الخميسى، الناشر: مدار الوطن–الرياض.
١٤- شرح الصدور بتحريم رفع القبور، محمد بن على الشوكانى، تحقيقمحمد صبحى بن حلاق، ط ١، الناشر: دارا لهجرة–اليمن.
١٥- شفاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبور، مرعى بن يوسف الكرمى الحنبلى، الناشر: مكتبة نزار مصطقى الباز–مكة.
١٧- دمعة على التوحيد، مقال: حقيقة القبورية و اثرها فى واقع الأمة، الناشر: المنتدىٰ الاسلامى–لندن.
١٨- التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد، ابن عبدالبر المالكى،تحقيق أسامة بن ابراهيم، الناشر:

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر–مصر.
١٩. المغنى، ابن قدامة المقدسى،تحقيق د. عبدالله التركى، و د. عبدالفتاح الحلو، الناشر: دار هجر–مصر
٢٠. زاد المعاد فى هدى خير العباد، ابن القيم ،تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط و شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة–بيروت.
٢١. الجنائز، محمدناصر الدين الألبانى،سنه الطبع: ١٤١٢، الناشر: مكتبة المعارف–الرياض.
٢٢.– وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، نور الدين على بن احمد السمهودى، الناشر: دار احياء التراث العربى– بيروت.